UPVR010000082001

IN THE COURT OF ASJ/F.T.C. (14th Finance Com.) At, Varanasi
(Presided Over by Manoj Kumar -II)
N.d.p.s. -Old/1700395/2001

भारत संघ **बनाम** जमील अहमद आदि

अपराध संख्या- निल/2001
धारा- 8/21/27-A/29 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम
थाना- कस्टम विभाग, जनपद- वाराणसी।

परिवादी	निरीक्षक संजय कुमार तिवारी
विद्वान अधिवक्ता अभियोजन	श्री श्याम सरोज दूबे, विशेष लोक अभियोजक, कस्टम, भारत संघ।
अभियुक्तगण	1. जमील अहमद, 2. राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व 3. सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्तागण-	श्री शिव कुमार सिंह गौतम (एडवोकेट) श्री हिमांचल सिंह (एडवोकेट)

दिनांक-19.06.2026

(मनोज कुमार द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी (14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।
जे.ओ. कोड - यू.पी.1827

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.06.20 12:07:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPVR010000082001

IN THE COURT OF ASJ/F.T.C. (14th Finance Com.) At, Varanasi
(Presided Over by Manoj Kumar -II)
N.d.p.s. -Old/1700395/2001

भारत संघ **बनाम** जमील अहमद वगैरह

अपराध संख्या- निल/2001

धारा- 8/21/27-A/29 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम

थाना- कस्टम विभाग, जनपद- वाराणसी।

अपराध की तिथि	17.04.2001
परिवाद पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	17.07.2001
आरोप विरचन की तिथि	17.12.2021
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	23.03.2022
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	19.06.2026
निर्णय की तिथि	19.06.2026
दण्डादेश पारित किये जाने की तिथि	20.06.2026

क्रम सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	**दण्डादेश**	धारा-428 दं.प्र.सं. के निमित घटायी गयी अवधि
1.	जमील अहमद	28.04.2001	धारा- 8/21/27A/29 स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985.	दोषसिद्ध	धारा- 27A एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व मु. 100000/- अर्थदण्ड । धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व मु. 100000/- अर्थदण्ड । धारा- 29 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व मु. 100000/- अर्थदण्ड ।	-
2.	राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू	18.04.2001		दोषसिद्ध	धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व मु. 100000/- अर्थदण्ड । धारा- 29 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व मु. 100000/- अर्थदण्ड ।	-
3.	सुरेश कुमार कास्यकार उर्फ मुन्ना	18.04.2001		दोषसिद्ध	धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व मु. 100000/- अर्थदण्ड । धारा- 29 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व मु. 100000/- अर्थदण्ड ।	-

दिनांक-20.06.2026

(मनोज कुमार द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी (14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।
जे.ओ. कोड - यू.पी.1827

UPVR010000082001

IN THE COURT OF ASJ/F.T.C. (14th Finance Com.) At, Varanasi
(Presided Over by Manoj Kumar -II)
N.d.p.s. -Old/1700395/2001

भारत संघ **बनाम** जमील अहमद वगैरह

अपराध संख्या- निल/2001
धारा- 8/21/27-A/29 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम
थाना- कस्टम विभाग, जनपद- वाराणसी।

अभियोजन/ बचाव पक्ष/ न्यायालय साक्षीगण का विवरण

ए- अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पी.डब्ल्यू.1	संजय कुमार तिवारी	फर्द बरामदगी
पी.डब्ल्यू.2	निरीक्षक गौरीशंकर पाण्डेय	फर्द बरामदगी

बी- बचाव पक्ष के साक्षी- निल
सी- न्यायालय साक्षी- निल

अभियोजन/ बचाव पक्ष के प्रदर्शों का विवरण

ए- अभियोजन

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श क-1	फर्द बरामदगी
2	प्रदर्श क-2	बयान गवाहान
3	प्रदर्श क-3	बयान गवाहान
4	प्रदर्श क-4	देवप्रकाश का बयान अंतर्गत धारा 67 एऩ.डी.पी.एस. एक्ट
5	प्रदर्श क-5	देवप्रकाश के सहमति पत्र
6	प्रदर्श क-6	देव प्रकाश को भेजे गया सम्मन
7	प्रदर्श क-7	देव प्रकाश को भेजे गये सम्मन के अनुपालन में उपस्थिति में दिये गये बयान
8	प्रदर्श क-8	गिरफ्तारी मेमो
9	प्रदर्श क-9	सहमति पत्र राकेश वर्मा
10	प्रदर्श क-10	राकेश वर्मा के बयान अंतर्गत धारा 67 एऩ.डी.पी.एस. एक्ट
11	प्रदर्श क-11	राकेश वर्मा को भेजे गये सम्मन
12	प्रदर्श क-12	राकेश वर्मा द्वारा दिये गये बयान
13	प्रदर्श क-13	गिरफ्तारी मेमो राकेश वर्मा
14	प्रदर्श क-14	सहमति पत्र सुरेश कांस्यकार
15	प्रदर्श क-15	सुरेश कांस्यकार के बयान अंतर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट
16	प्रदर्श क-16	सुरेश कांस्यकार को भेजा गया सम्मन
17	प्रदर्श क-17	सुरेश कांस्यकार के बयान
18	प्रदर्श क-18	गिरफ्तारी मेमो सुरेश कांस्यकार
19	प्रदर्श क-19	पंचनामा/रिकवरी मेमो
20	प्रदर्श क-20	सहमति पत्र बाबत जामा तलाशी विजय सिंह

अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी. (14th वि.आ.), वाराणसी

21	प्रदर्श क-21	बयान विजय सिंह
22	प्रदर्श क-22	गिरफ्तारी मेमो विजय सिंह
23	प्रदर्श क-23	पंचनामा
24	प्रदर्श क-24	बयान कासिम
25	प्रदर्श क-25	पंचनामा
26	प्रदर्श क-26	सहमति पत्र जमील अहमद
27	प्रदर्श क-27	जमील कुरैशी को भेजा गया सम्मन
28	प्रदर्श क-28	जमील अहमद के स्वैच्छिक बयान
29	प्रदर्श क-29	गिरफ्तारी मेमो जमील अहमद
30	प्रदर्श क-30	एऩ.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 57 के अंतर्गत सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित नोटिस
31	प्रदर्श क-31	सुरेश कांस्यकार के बयान अंतर्गत धारा 67 एऩ.डी.पी.एस. एक्ट
32	प्रदर्श क-32	अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास का विवरण
33	प्रदर्श क-33	कस्टम इंस्पेक्टर को भेजा गया पत्र
34	प्रदर्श क-34	परीक्षण रिपोर्ट
35	प्रदर्श क-35	टेस्ट मेमो
36	प्रदर्श क-36	परिवाद पत्र
37	प्रदर्श क-37	मूल इन्वेंटरी रिपोर्ट
38	प्रदर्श क-38	मूल रजिस्टर
39	प्रदर्श क-39	इन्वेंटरी में सैंपल एवं अवशोष जमा किये जाने के बाबत रिपोर्ट

बी- बचाव पक्ष के प्रदर्श - निल
सी- न्यायालय प्रदर्श- निल
डी- वस्तु प्रदर्श

क्रम संख्या	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण
1	वस्तु प्रदर्श -1	गमछा
2	वस्तु प्रदर्श -2	पिट्ठू बैग
3	वस्तु प्रदर्श -3	कपड़ा
5	वस्तु प्रदर्श -1	पॉकेट डायरी
6	वस्तु प्रदर्श -2	पॉकेट डायरी

नोट- सहबन गमछा व पॉकेट डायरी तथा पिट्ठू बैग व पाकेट डायरी पर एक ही वस्तु प्रदर्श क्रमशः 1 व 2 अंकित हो गया है।

दिनांक-19.06.2026

(मनोज कुमार द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी (14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।
जे.ओ. कोड - यू.पी.1827

UPVR010000082001

IN THE COURT OF ASJ/F.T.C. (14th Finance Com.) At, Varanasi
(Presided Over by Manoj Kumar -II)
N.d.p.s. -Old/1700395/2001

भारत सरकार द्वारा निरीक्षक, सीमा शुल्क विभाग, वाराणसी

अभियोजन पक्ष

बनाम

1- जमील अहमद उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री जलील अहमद, मु. टाउनहाल, जनपद गाजीपुर ।
2- राकेश वर्मा उम्र 20 वर्ष, पुत्र श्री विजय सेठ, मु. नबावगंज, पोस्ट मारकीनगंज, जनपद गाजीपुर ।
3- सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना, उम्र 25 वर्ष, पुत्र श्री पन्ना लाल, मु. नबावगंज, पोस्ट मारकीनगंज, जनपद गाजीपुर ।

अभियुक्तगण

अपराध संख्या- निल/2001
धारा- 8/21/27-A/29 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम
थाना- कस्टम विभाग, जनपद- वाराणसी।

निर्णय

1. अभियुक्तगण विजय सिंह, जमील अहमद, देव प्रकाश वर्मा, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार विरुद्ध सीमा शुल्क विभाग, वाराणसी के निरीक्षक संजय कुमार तिवारी द्वारा अपराध सं. निल/2001, अन्तर्गत धारा-8/21/27A/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना कस्टम विभाग, वाराणसी, के प्रकरण में यह परिवाद संस्थित किया गया है। अभियुक्तगण देव प्रकाश वर्मा व विजय सिंह की अनुपस्थिति के कारण उनकी पत्रावली पृथक की गयी।

2. संक्षेप में परिवाद पत्र व पंचनामा/रिकवरी मेमों के आधार पर अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि परिवादी सीमा शुल्क विभाग, वाराणसी में निरीक्षक के पद पर तैनात है। दिनांक 17.04.2001 को लगभग 17.30 बजे गुप्त सूचना मिली कि तीन व्यक्ति देव प्रकाश वर्मा, राकेश वर्मा दोनों पुत्र विजय सेठ एवं सुरेश कांस्यकार पुत्र पन्ना लाल कांस्यकार, तीनों निवासी मुहल्ला नबावगंज, डाक-मारकीनगंज, जिला-गाजीपुर अवैध मादक पदार्थ के धन्धे में लिप्त हैं और इस समय कैण्ट स्टेशन वाराणसी के सामने स्थित चेतक होटल के पास अपने ग्राहकों को डिलीवरी देने वाले हैं।

उक्त सूचना को लिखित रूप से अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराकर तत्पश्चात् उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार एक टीम बनाया जिसमें परिवादी संजय कुमार तिवारी व उसके मेरे सहयोगी अधिकारी एस.एन. राय, एस.के. मिश्रा, जी.एस. पाण्डेय, राजेश्वर प्रसाद (सभी निरीक्षक) तथा सिपाही लक्ष्मण सिंह व श्याम लाल थे, को लेकर विभागीय वाहन से लगभग 18.30 बजे सीमा शुल्क कार्यालय से प्रस्थान कर 19.00 बजे (लगभग) चेतक होटल के पास

अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी. (14th वि.आ.), वाराणसी

पहुँचे और आस-पास बिखरकर संदिग्ध तीनों व्यक्तियों का इन्तजार करने लगे। करीब 19.30 बजे तीन व्यक्ति चेतन होटल के सामने आये, मुखबिर द्वारा बताने पर कि यहीं वे तीन संदिग्ध व्यक्ति हैं, जिनके पास एक किलोग्राम हेरोइन है। अतः वहीं खड़े दो निष्पक्ष व्यक्तियों को अपना एवं अपने सहयोगियों का परिचय देते हुए प्राप्त सूचना से अवगत कराया एवं तलाशी के दौरान उन्हें गवाह के रूप में उपस्थित रहने का अनुरोध किया जिस पर वे तैयार हो गये। इन दोनों गवाहों ने अपना परिचय क्रमशः श्री शमशाद अहमद खान पुत्र बाबू खान निवासी एस0-06/84, गोलघर, कचहरी, वाराणसी व सैयद मुशर्रत पुत्र स्व. श्री मुर्तुजा हुसैन निवासी सी. 10/51-जीयापुरा, चेतगंज, वाराणसी के रूप में बताया।

इसके पश्चात् दोनों उपर्युक्त गवाहों को साथ लेकर एवं निवारक दल के साथ होटल के पास पहुँचा जहाँ पर तीनों व्यक्ति खड़े थे। उन्हें अपना तथा अपने सहयोगियों का परिचय देकर प्राप्त सूचना से अवगत कराया और बताया कि इस समय उनके पास हेरोइन नामक मादक पदार्थ है। अतः इनकी तलाशी आवश्यक है। अत वे चाहें तो उनकी तलाशी विभागीय राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जा सकती है। जिस पर उन्होंने लिखित रूप से कहा कि आप लोग ही तलाशी ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में वहीं पर उपस्थित गवाहों की मौजूदगी में उनसे पुनः अनुरोध किया गया कि वे चाहे तो सभी अधिकारीगण, सहयोगी एवं गवाहों की तलाशी ले सकते हैं जिसके लिए उन लोगों ने मना कर दिया। तत्पश्चात् उक्त तीनों व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना परिचय श्री देव प्रकाश वर्मा पुत्र श्री विजय सेठ, निवासी-मुहल्ला नबावगंज, गाजीपुर, राकेश कुमार वर्मा पुत्र श्री विजय सेठ निवासी मुहल्ला-नवाबगंज, गाजीपुर, जिला-गाजीपुर व सुरेश कांस्यकार पुत्र श्री पन्ना लाल, मु0 नवाबगंज, जिला-गाजीपुर रूप में बताया।

उन तीनों व्यक्तियों में से एक श्री देव प्रकाश वर्मा के दाहिने कन्धे में लटके हुये हरे रंग के स्कूली बैग, जिसमें अंग्रेजी भाषा में (एडीदास) लिखा हुआ था, को खोलकर देखने पर उसमें सफेद रंग के गमछे में लिपटा सफेद पादर्शक पालीथीन में रखा भूरे रंग का पदार्थ तथा एक पाकेट डायरी बरामद हुई, जिसमें बहुत सारे टेलीफोन नंबर व नाम पता लिखा था। शेष दोनों व्यक्तियों के तलाशी के फलस्वरूप कोई अन्य सामान बरामद नहीं हुआ।

बरामद पदार्थ को अपने साथ लाये टेस्ट किट बाक्स से परीक्षण करने पर वह हेरोइन पाया गया। अपने साथ लाये तराजू और वाट से वजन करने पर बरामद पदार्थ हेरोइन का पालीथीन सहित वजन 995 ग्राम, पालीथीन का वजन 05 ग्राम, शुद्ध हेरोइन का वजन 990 ग्राम पाया गया। इसमें से 5-5 ग्राम के दो नमूने रासायनिक परीक्षण के लिए निकाले गये। नमूने एवं मूल हेरोइन वाले पालीथीन का हीट सील किया गया। वहां पर तीनों व्यक्तियों का एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 67 के अन्तर्गत बयान लिया गया।

अभिग्रहण स्थल पर ही तीनों व्यक्तियों को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 67 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्मन जारी करके मकबूल आलम रोड स्थित सीमा शुल्क कार्यालय में दिनांक 18.04.01 को बुलाया गया। उन तीनों व्यक्तियों ने अपने दिनांक 17.04.2001/18.04.2001 के एन.डी.पी.एस. एक्ट के धारा 67 के अन्तर्गत दिये गये बयान में यह तथ्य स्वीकार किया कि बरामद हेरोइन को श्री देव प्रकाश वर्मा ने जमील अहमद कुरेशी, निवासी सराय, टाउन हाल, गाजीपुर से कमीशन पर बेचने हेतु साहू अण्डे वाले की दुकान पर ली थी। श्री देव प्रकाश ने श्री जमील की हुलिया की जानकारी देते हुए बताया कि वह अस्थाई रूप से गोदौलिया गिरजाघर चौराहे से रामापुरा को जाने वाली सडक के दाहिने तरफ (चौराहे से करीब 20 मीटर दूर) मुडी गली में लगभग 80-100 मीटर दूर स्थित किराये के मकान में अपने बीबी के साथ रहता है। वे सभी अक्सर साहू अण्डे वाले के दुकान पर मिलते रहते है। बरामद हेरोइन को एन.डी.पी.एस. एक्ट 85 की धारा 42 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभिग्रहीत कर लिया

गया। पूछताछ में देव प्रकाश ने यह भी बताया कि बरामद हेरोइन मनोज दूबे उर्फ नेता उर्फ पंडित निवासी गाजीपुर को देना था। देव प्रकाश व राकेश वर्मा ने यह भी बताया कि यह हेरोइन जमील अहमद राजस्थान निवासी विजय सिंह से प्राप्त करता है जो इस समय मलदहिया स्थित वेंकेटेश होटल के कमरा नं0 205, 206 में ठहरा हुआ है और विजय सिंह के पास और भी हेरोइन हो सकती है। सुरेश कांस्यकार ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसे देव प्रकाश व राकेश वर्मा के पास हेरोइन होने की जानकारी थी। तदुपरान्त रिकवरी मेमो मौके पर ही तैयार किया उसे पढ़कर सुनाने के पश्चात् उस पर सभी अधिकारीगण, गवाहान व अभियुक्तगण के हस्ताक्षर कराया गया एवं उनकी एक-एक प्रति अभियुक्तगण को दी गयी एवं प्रयुक्त सील का नमूना रिकवरी मेमो पर भी लगाया गया। रिकवरी मेमो की कार्यवाही 22.30 बजे तक चली।

उसी दिन दिनांक 17/18.04.2001 को लगभग दो निष्पक्ष साक्षी देवा नन्द राय व सतीश कुमार राय को 00.15 बजे मुखबिर द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना से अवगत कराकर कि एक राजस्थान निवासी विजय सिंह के पास भारी मात्रा में हेरोइन होने की खबर है। वह इस समय वेंकटेश होटल मलदहिया, वाराणसी के कमरा नं0 205 में रूका हुआ है। अगर इसी समय उसकी तलाशी नहीं ली गयी तो हेरोइन को सुबह तक हटा देगा। ऐसी स्थितियों में अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर तलाशी का वारंट लेकर वेंकटेश होटल पर निवारक दल के साथ पहुँचा। वहाँ पर यह सुनिश्चित करने के बाद कि श्री विजय सिंह कमरा नं. 205 में ही रूका हुआ है। उपरोक्त दोनों गवाहों के साथ उक्त कमरा नं. 205 में पहुँचे । विजय सिंह को बुलाकर अपना परिचय व वहाँ पर आने का कारण बताया गया। उससे लिखित रूप से पूछा गया कि क्या वह चाहता है कि उसकी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा विभागीय राजपत्रित अधिकारी के समक्ष हो। उसके यह लिखित रूप से देने पर कि आप लोग ही उसके सामानों एवं शरीर की तलाशी ले सकते हैं तो दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उसके शरीर व सामानों की तलाशी ली गयी। शरीर के तलाश के दौरान कोई भी अवैध सामान नहीं मिला परन्तु उसके बैग की तलाशी के दौरान एक देशी कट्टा, एक जिन्दा कारतूस, 315 बोर के साथ बरामद हुआ। इस बरामदगी का पंचनामा मौके पर तैयार करके उस पर सभी अधिकारीगण, अभियुक्तगण व गवाहान का दस्तखत कराया गया एवं बरामद कट्टे व कारतूस को मौके पर ही सील मुहर कर दिया गया। पूछताछ के दौरान उसने एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा, 67 के अन्तर्गत यह स्वीकार किया कि वह दिनांक 03.04.2001 से ही इस होटल में रूका था। वह मादक द्रव्य का व्यापार करता है। पिछले चार-पाँच महीने में उसने श्री जमील निवासी गोदौलिया, वाराणसी को चार-पाँच बार मादक पदार्थ लाकर बेचा था। उसने यह भी बताया कि दिनांक 17.04.2001 को श्री जमील अहमद को लगभग एक किलोग्राम अवैध मादक द्रव्य हेरोइन बेचा है। दिनांक 17.04.2001 को श्री देव प्रकाश वर्मा के पास के बैग से बरामद डायरी में श्री जमील अहमद एवं श्री विजय सिंह का नाम एवं फोन नंबर पाया गया। इससे प्रतीत होता है कि श्री विजय सिंह हेरोइन के कारोबार में संलिप्त है। इस युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि विजय सिंह द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 08 का बार-बार उल्लघन किया गया है तथा उसके द्वारा यह अपराध स्वीकार भी कर लिया गया है, इस कारण वह उक्त अधिनियम की धारा 21 एवं 29 के अन्तर्गत दण्ड का भागी है। इसलिए उसे उक्त अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत दिनांक 18.04.2001 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे गिरफ्तारी का कारण पूरी तरह समझा दिया गया एवं उसकी गिरफ्तारी मेमो की एक प्रति उसे दे दी गयी।

श्री देव प्रकाश वर्मा ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 67 के अन्तर्गत दिये गये अपने दिनांक 17.04.2001 के बयान में स्वीकार किया कि उसके पास से ही 990 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी तथा दिनांक 18.04.2001 के बयान में स्वीकार किया कि यह उसे श्री जमील अहमद कुरेशी निवासी सराय टाउन हाल, गाजीपुर से प्राप्त हुई थी। श्री देव प्रकाश वर्मा के भाई

श्री राकेश वर्मा ने भी अपने दिनांक 17.04.2001 के बयान में स्वीकार किया कि उसके भाई देव प्रकाश वर्मा के पास से ही उपर्युक्त 990 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी । उसने धारा 67 के अन्तर्गत दिनांक 18.04.2001 को दिये गये बयान में स्वीकार किया कि उसे पक्की जानकारी थी कि बरामद हेरोइन को उसका भाई मनोज दूबे उर्फ पण्डित निवासी गाजीपुर को बेचने वाला है। लेन-देन में कोई गडबडी न हो मारपीट न हो इसलिए वहां अपने भाई देव प्रकाश वर्मा तथा साथी सुरेश कांस्यकार के साथ दिनांक 17.04.2001 को उपर्युक्त स्थान पर मौजूद था। श्री सुरेश कांस्यकार ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के धारा 67 के अन्तर्गत दिनांक 17.04.2001 को दिये गये बयान में स्वीकार किया कि वह देव प्रकाश वर्मा एवं श्री राकेश वर्मा के साथ अभिग्रहण स्थान पर तथा चेतक होटल के पास कैण्ट वाराणसी के सामने खड़ा था। उसके तथा गवाहों के मौजूदगी में 990 ग्राम हेरोइन की बरामदगी श्री देव प्रकाश वर्मा के कन्धे से लटके झोले से हुई थी। उसके समक्ष श्री देव प्रकाश वर्मा ने अधिकारियों को बताया कि उसने बरामद हेरोइन को जमील अहमद कुरेशी पुत्र श्री जलील अहमद कुरेशी, निवासी-टाउल हाल गाजीपुर से कमीशन के आधार पर ली थी। हेरोइन की बिक्री से उसे जो रूपये मिलेगा, उसमें हजार-दो हजार उसे भी मिल जायेगा इसलिए वह उसके साथ था ।

अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर पाया गया कि तीनों व्यक्ति सम्मिलित रूप से (एक गैंग के रूप में) मादक द्रव्य हेरोइन के कारोबार में लिप्त है। अतः यह विश्वास करने के कारण कि उपर्युक्त व्यक्ति के द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 08 का उल्लंघन हुआ है। इस कारण वे लोग उक्त अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत दण्ड के भागी है। अतः उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें गिरफ्तारी का कारण पूरी तरह समझा दिया गया तथा उन्हें गिरफ्तारी मेमो की एक प्रति दी गयी। गिरफ्तार करके उन्हें विभागीय अभिरक्षा में रखा गया। गिरफ्तारी के बाद दो-दो अभियुक्तों को दो अलग-अलग कमरों में रखा गया। श्री देव प्रकाश वर्मा एवं सुरेश कांस्यकार अपने कमरे की खिडकी की ग्रिल तोडकर 18/19.04.2001 की रात्रि में भाग गये। इनके भागने की रिपोर्ट कैण्ट थाना वाराणसी में दिनांक 19.04.2001 को दर्ज करा दी गयी। विभाग द्वारा लगातार खोजबीन करने पर श्री देव प्रकाश वर्मा थाना कोतवाली, गाजीपुर द्वारा उसके विरूद्ध दर्ज मु0 अ0 सं0 1071/2000 दिनांक 09.11.2000 के सिलसिले में अपनी जमानत तुड़वाकर एन.डी.पी.एस. न्यायालय, गाजीपुर में दिनांक 09.05.2001 को आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरे अभियुक्त श्री सुरेश कांस्यकार ने दिनांक 28.05.2001 को सी0 जे0 एम0 वाराणसी के अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया जो दिनांक 30.05.2001 को एन.डी.पी.एस. न्यायालय वाराणसी को प्रस्तुत है। चारो व्यक्ति अभी तक न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। धारा, 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अन्तर्गत उक्त 990 ग्राम हेरोइन के अभिग्रहण एवं चारों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट दिनांक 19.04.2001 को सीमा शुल्क विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की गयी।

दिनांक 28.04.2001 को इस केस की अगली अनुवर्ती कारवाई के दौरान श्री जमील अहमद कुरेशी पुत्र जमील अहमद कुरेशी के गोदौलिया चौराहे के पास स्थित रामापुरा मुहल्ले के डी-47/33 किराये के आवास की तलाशी श्री कासिम पुत्र मोहम्मद यूसुफ निवासी चम्पीयाबाग, जनपद-गाजीपुर तथा अन्य दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में हुयी। कोई भी अवैध सामान बरामद नहीं हुआ। इसका पंचनामा तैयार किया गया। घर में मौजूद कासिम ने अधिकारियों को बताया कि श्री जमील इस समय सराय गोवर्धन, चेतगंज के म0 नं0 सी0-04/370 पर है। श्री कासिम के साथ इस मकान पर पहुँच कर एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 67 के अन्तर्गत दिनांक 28.04.2001 को लगभग 11 बजे सीमा शुल्क कार्यालय, वाराणसी पर उपस्थित होने के लिए सम्मन दिया गया। दिनांक 28.04.2001 को श्री जमील अहमद कुरेशी सीमा शुल्क कार्यालय, वाराणसी उक्त सम्मन के अनुपालन में लगभग 11.00 बजे उपस्थित हुए । श्री

जमील अहमद से लिखित रूप से पूछा गया कि क्या वे चाहते हैं कि उनकी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा विभागीय राजपत्रित अधिकारी के समक्ष हो। इस पर उन्होंने लिखित रूप से बताया कि आप लोग ही उसकी तलाशी ले सकते है। उसके व्यक्तिगत्त तलाशी के दौरान पेंट के पाकेट से एक पाकेट डायरी पायी गयी। जिस पर तमाम लोगों के टेलीफोन नंबर नाम लिखे थे। दिनांक 28.04.2001 को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 67 के अन्तर्गत दिये गये बयान में उसने स्वीकार किया कि वह दिनांक 18.04.2001 को पकड़े गये श्री विजय सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी-झालावाड़ (कोटा) राजस्थान को जानता है। उसका फोन नंबर 7431-66289 तथा 66204 (पी0 पी0) है जो प्रभुभाई के नाम से हैं। यह नम्बर उसके पास से बरामद पाकेट डायरी में लिखा पाया गया। वह उससे हेरोइन खरीदता है। इसके पहले पाँच बार में 350 ग्राम, 600 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम तथा इस बार एक किलोग्राम हेरोइन रु0 1,30,000/- प्रति किलो की दर से विजय सिंह से खरीदा था। विजय सिंह ने दिनांक 17.04.2001 को लगभग 16.00 बजे बेंकटेश होटल के कमरा नं0 205 में उसे अभिग्रहीत हेरोइन बेचा था। उसने विजय सिंह को पैसा दे दिया था। श्री जमील ने अपने बयान में आगे बताया कि उसने उक्त हेरोइन को गाजीपुर के श्री ओम प्रकाश वर्मा उर्फ देव प्रकाश वर्मा उर्फ टिल्लू, श्री राकेश वर्मा दोनों पुत्र श्री विजय सेठ श्री सुरेश उर्फ मुन्ना पुत्र पन्ना लाल तीनों निवासी मु. नवाबगंज, गाजीपुर को इंग्लिशिया लाइन चौराहे के पास साहू अण्डेवाला के दुकान पर बुलाकर कमीशन के आधार पर बेचने के लिए दिया था। उनसे उसे रु0 1,60,000/- मिलता। उसने यह भी स्वीकार किया कि विजय सिंह राजस्थान से जब भी हेरोइन लेकर आता है उसके रामापुरा स्थित घर पर मिलता है। तथा रेट तय होने पर हेरोइन होटल के कमरे में देता है। तथा रेट तय होने पर हेरोइन होटल के कमरे में देता है। इसके पहले 40 ग्राम हेरोइन के साथ वह गाजीपुर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। उसका दिया गया यह यह बयान तथा विजय सिंह, देव प्रकाश वर्मा, राकेश वर्मा तथा सुरेश कांस्यकार के द्वारा दिये गये बयान से युक्तियुक्त विश्वास का आधार बना कि श्री जमील अहमद हेरोइन की खरीद एवं इसके कमीशन पर बिक्री में संलिप्त है। वह अपने कार्यों द्वारा हेरोइन बिक्री को प्रोत्साहित करता हैं उसके कार्यों से एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 08 का उल्लंघन होता है। इस कारण वह एन.डी.पी.एस. एक्ट 85 की धारा 21, 27 ए तथा 29 के प्राविधानों के अन्तर्गत दण्ड का भागी है। अतः उसे इस अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसे गिरफ्तारी का कारण पूरी तरह से समझा दिया गया तथा गिरफ्तारी मेंमो की एक कापी दी गयी।

दिनांक 17.05.2001 को थाना कोतवाली, गाजीपुर से जमील अहमद कुरेशी, श्री देव प्रकाश वर्मा श्री राकेश वर्मा तथा श्री सुरेश कांस्यकार के अपराधिक इतिहास मांगा गया। वहां से श्री जमील अहमद, देव प्रकाश वर्मा तथा राकेश वर्मा का अपराधिक इतिहास मिला। वहां पर श्री सुरेश कांस्यकार का कोई अपराधिक रिकार्ड नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त तीन व्यक्ति हेरोइन के कारोबार में काफी दिन से संलिप्त है। दिनांक 27.05.2001 को श्री जमील अहमद के सराय टाउन हाल, गाजीपुर स्थित आवास पर अनुवर्ती कारवाई की गयी। वहां पर कोई भी अवैध सामान नहीं मिला, इसी दिन ही श्री शाह मोहम्मद उर्फ साहू अण्डेवाले से एन.डी.पी.एस. एक्ट, 85 की धारा 67 की अन्तर्गत पूछताछ की गयी। उसने स्वीकार किया कि दिनांक 17.04.2001 को जमील अहमद, राकेश वर्मा, देव प्रकाश वर्मा, सुरेश कांस्यकार सभी निवासी गाजीपुर उसकी दुकान पर आये थें। दिनांक 24.05.2001 को जिला अफीम अधिकारी द्वारा श्री विजय सिंह पुत्र श्री लाल सिंह के द्वारा बताये गये मुवाखो कोटडी, डाक गोपालपुरा, जिला-झालावाड (कोटा) राजस्थान पर अनुवर्ती कार्यवाई की गयी। अनुवर्ती कार्यवाई के दौरान पाया गया कि श्री विजय सिंह, मुवाखो कोटडी का नहीं है बल्कि मुवाखो का रहने वाला है। अतः मुवाखे स्थित आवास की तलाशी उसके पिता लाल सिंह के मौजूदगी में ली गयी। बरामद

नमूने को रासायनिक परीक्षण हेतु दिनांक 19-04 2001 को सरकारी सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर भेजा गया जिसकी रिपोर्ट संख्या 09 दिनांक 28.05.2001 सीमा शुल्क, मण्डल कार्यालय वाराणसी ने दिनांक 14.06.2001 को प्राप्त हुई । रसायन परीक्षक, सरकारी अफीम एवं क्षरोद कारखाना, गाजीपुर के रिपोर्ट द्वारा यह नमूना हेरोइन पाया गया। सभी अभियुक्तगण मादक पदार्थ के अवैध धन्धें में लिप्त है जो एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय है।

3. परिवादी/निरीक्षक संजय कुमार तिवारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र पर तत्कालीन विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, वाराणसी द्वारा दिनांक 17-07-2001 को संज्ञान लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण जमील अहमद, राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना विचारण हेतु न्यायालय उपस्थित आये तथा शेष अभियुक्तगण देव प्रकाश वर्मा व विजय सिंह की अनुपस्थिति के कारण उनकी पत्रावली पृथक की गयी । अभियुक्तगण जमील अहमद, राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना के विरूद्ध दिनांक 17.12.2021 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-13 वाराणसी द्वारा धारा 8/20/27 ए व 29 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इन्कार किया गया एवं विचारण की मॉग की गयी। पत्रावली सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 23.07.2025 के अनुपालन में दिनांक 31.07.2025 को स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुयी।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा स्वयं के मामले को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण परीक्षित कराये गये-

1	संजय कुमार तिवारी	पी.डब्लू0 1
3	अनंत विक्रम द्विवेदी	पी.डब्लू0 3

5. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0 डब्ल्यू. 1 संजय कुमार तिवारी** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह वर्ष 2001 में बहैसियत निरीक्षक, सीमा शुल्क विभाग, वाराणसी में तैनात था । उसे इस घटना की सूचना दिनांक 17.04.2001 को लगभग साढे पॉच बजे सायंकाल सूचना प्राप्त हुयी कि तीन व्यक्ति क्रमशः देव प्रकाश वर्मा, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार अवैध मादक पदार्थ कारोबार में लिप्त हैं, कैण्ट रेलवे स्टेशन के सामने स्थित चेतक होटल के पास उक्त मादक पदार्थ की डिलीवरी देने वाले हैं।

इस सूचना को उसने लिखित रूप में अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया और उनके निर्देशानुसार एक टीम बनाया जिसमें उसके अलावा सर्व श्री एस.एन. राय, एस.के. मिश्रा, जी.एस. पाण्डेय, राजेश्वर प्रसाद, सभी निरीक्षक एवं सिपाहीगण लक्ष्मण सिंह व श्याम लाल को लेकर कैण्ट चेतक होटल के सामने विभागीय वाहन से सायं 19.00 बजे पहुँचे। वहॉ पहुॅचकर वह लोग संदिग्ध व्यक्तियों का इन्तजार करने लगे। लगभग 19.30 बजे तीन व्यक्ति चेतन होटल के सामने आये और किसी का इंतजार कर रहे थे । मुखबिर के इशारे पर यही तीन संदिग्ध व्यक्ति हैं, जिनके पास करीब एक किलोग्राम हेरोइन है। तत्पश्चात उसने वहॉ पर उपस्थित दो व्यक्तियों को अपना एवं अपने सहयोगियों का परिचय दिया व प्राप्त सूचना से अवगत कराकर उपस्थित रहने का अनुरोध किया। उनकी स्वीकृति पर उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्री शमशाद अहमद और दूसरे ने अपना नाम सैयद मुशर्रत अली बताया ।

तत्पश्चात दोनों गवाहों के साथ वह अपने सहयोगियों को लेकर उक्त संदिग्ध व्यक्तियों के पास पहुॅचा और उन्हें अपना तथा अपने सहयोगियों का परिचय देकर प्राप्त सूचना से अवगत कराया और बताया कि आपके पास मादक पदार्थ हेरोइन है। अतः आप लोगों की तलाशी लेना है। उसने उन्हें यह भी बताया कि वे अपनी तलाशी विभागीय राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष दे सकते है और इस संदर्भ में एक लिखित प्रपत्र तैयार किया गया और यह बताया गया कि वे उन लोगों की तलाशी ले सकते है। तीनो अभियुक्तों ने तलाशी लेने से इंकार किया तब उसने उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने नाम राकेश कुमार वर्मा, देव प्रकाश व सुरेश कांस्यकार बताया। तत्पश्चात उनकी सहमति प्राप्त कर तलाशी का कार्य प्रारम्भ किया गया तो अभियुक्त देव प्रकाश के दाहिने कन्धे पर एक स्कूली बैग दिखा, शेष अभियुक्तो के पास कोई सामान नही था । उन अधिकारियों ने गवाहों के समक्ष उक्त स्कूली बैग को उतरवाया जो हरे रंग का था और उस पर अंग्रेजी में Adidas लिखा था। बैग को खोलकर देखने पर उसमें एक सफेद गमछा मिला और गमछा को खोलने पर एक पालीथीन पैकेट मिला जिसको खोलकर देखने उसमें भूरे रंग का पाउडर पाया गया । पूछने पर वेद प्रकाश ने बताया कि यह भूरा पाउडर हेरोइन है। बैग से एक पाकेट डायरी बरामद हुई, जिसमें बहुत सारे फोन नंबर व पता लिखे थे। इसके पश्चात सभी अभियुक्तगण की व्यक्तिगत तलाशी भी ली गयी किन्तु कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ।

बैग में पायी गयी हेरोइन की सूचना जरिये दूरभाष सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क को दिया गया । साथ लाये गये किट से जॉच करने पर उक्त बरामद पाउडर हेरोइन पाया गया।

साक्षी पी.डब्ल्यू.1 का अग्रेतर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन है कि पूछताछ पर देव प्रकाश ने बताया कि यह हेरोइन अभियुक्त जमील के इंग्लिशया लाइन से लहुराबीर जाने वाली सड़क पर स्थित श्री राम राज के सामने दिया था। अभियुक्त देव प्रकाश ने आगे बताया कि जमील गाजीपुर का रहने वाला है और वर्तमान में गिरजाघर जो भूमि के पास एक गली में किराए के घर अपनी बीवी के साथ रहता है। उसकी पहचान बताया कि वह 6 फीट लंबा फर्स्ट पोस्ट गोरे रंग का व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 वर्ष है और उसके एक हाथ में हाथ के तर्जनी के आगे का हिस्सा कटा हुआ है और वह हाथ में कोई किताब या मैगजीन रखे रहता है। देव प्रकाश ने बताया कि बरामद हेरोइन मनोज दुबे को देना था और इन्हीं का इंतजार वे लोग कर रहे थे उसे बिक्री में से 10,000/- कमीशन लेकर शेष पैसा जमील को देना था। देव प्रकाश पर राकेश वर्मा ने पूछताछ पर यह भी बताया कि जमील उक्त बरामद हेरोइन विजय सिंह जो राजस्थान का रहने वाला है, उससे खरीदता है जो इस समय मलदहिया स्थित होटल वेंकटेश में कमरा नंबर 205 व 206 में ठहरा हुआ है। जमील बरामद हेरोइन विजय सिंह से होटल में जाकर खरीदा था और विजय सिंह के कमरों में और भी हेरोइन हो सकता है। अभियुक्त सुरेश कांस्यकार से पूछताछ पर बताया कि वह दोनों अभियुक्तों के साथ वाराणसी घूमने आया था किंतु उसे यह जानकारी थी कि अन्य दोनों अभियुक्तों के पास हेरोइन थी। अभियुक्तगण को यह बताकर कि हेरोइन का रखना, खरीदना व बेचना व इसकी जानकारी रखना एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है जो अधिग्रहित होने योग्य है। बरामद हेरोइन को तराजू वाट से तोला गया तो कुल वजन 995 ग्राम पाया गया। पॉलिथीन हटाने पर शुद्ध भजन 990 ग्राम पाया गया। बरामद हेरोइन से पांच-पांच ग्राम के दो नमूने निकल गए इन्हें पॉलिथीन के पैकेट में रखकर अलग-अलग कागज के पैकेट में रखकर सील मुहर किया गया उक्त सील पैकेट पर अधिकारीगण, गवाहन व अभियुक्तगण ने अपने-अपने हस्ताक्षर बनाये शेष और हेरोइन को पॉलिथीन पैकेट में रखकर सील करते हुए उसे गमछे में लपेटकर इस बैग में रखकर सील मोहर किया गया। उक्त बरामद डायरी जांच हेतु अपने पास रखा गया और डायरी में सील मोहर बैग पर भी उपरोक्त अधिकारीगण, गवाहन व अभियुक्तगण ने अपने-अपने हस्ताक्षर बनाये। इस

बरामदगी का एक रिकवरी मेमो मौके पर तैयार किया गया जिस पर माल को सील करने में प्रयुक्त सील का नमूना रिकवरी मेमो पर लगाया गया कि। रिकवरी मेमो मौके पर 22.30 बजे तक तैयार किया गया जिस पर पढ़कर, सुनकर अधिकारीगण, गवाहन व अभियुक्तगण ने अपने-अपने हस्ताक्षर बनाये। रिकवरी मेमो की एक-एक प्रति अभियुक्तगण को देखकर उनके हस्ताक्षर बनवाये गये।

साक्षी पी.डब्ल्यू.1 का अग्रेतर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन है कि गवाहान शमशाद अहमद व मुसर्रफ अली ने अपना बयान अपने लेख व हस्ताक्षर में उसके समक्ष दिया था। अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा ने ने अपना बयान स्वयं लेख व हस्ताक्षर में उसके सामने दिया तथा देव प्रकाश वर्मा के द्वारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रपत्र उसने अपने लेख हस्ताक्षर में तैयार किया था ।देव प्रकाश वर्मा का पुनः बयान उसके द्वारा जारी समन के अनुपालन में उसकी उपस्थित आने पर उसके समक्ष उसने स्वयं अपने लेख व हस्ताक्षर में लिख लिखकर दिया। बयान के पूर्व उसे यह बता दिया गया था कि यह बयान उसके विरुद्ध व साक्ष्य में पढ़ा जाएगा तत्पश्चात उसने अपना बयान स्वेच्छा से अंकित किया। तत्पश्चात देव प्रकाश वर्मा को गिरफ्तारी का कारण बताकर उसकी एक प्रति उसे देकर साक्षी ने गिरफ्तार किया।

इसी प्रकार राकेश वर्मा का धारा 50 का अनुपालन का प्रपत्र एस.के. मिश्रा उसके सहयोगी निरीक्षक ने तैयार किया जिसकी कार्बन प्रति पत्रावली पर उपलध है, जिस पर एस.के. मिश्रा के हस्ताक्षर मौजूद हैं। अभियुक्त राकेश वर्मा ने अपना बयान उसके समक्ष उसने स्वयं अपने लेख व हस्ताक्षर में अंकित किया तथा राकेश वर्मा का पुनः बयान उसके द्वारा जारी समन के अनुपालन में उपस्थित आने पर अंकित हुआ। बयान से पूर्व उसे बताया गया था कि यह बयान उसके व अन्य के विरुद्ध साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। तत्पश्चात अपना बयान स्वेच्छा से अपने लेख व हस्ताक्षर में अंकित किया। तत्पश्चात अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरफ्तारी मेमो की एक प्रति देकर उसने गिरफ्तार किया। अभियुक्त सुरेश कांस्यकार का धारा 50 के अनुपालन का प्रपत्र उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था तथा अभियुक्त सुरेश कांस्यकार ने अपना बयान उसके समक्ष स्वयं अपने लेख व हस्ताक्षर में अंकित किया था।

साक्षी पी.डब्ल्यू.1 ने अग्रेतर अपनी मुख्य परीक्षा में मूल पंचनामा स्वयं के हस्तलेख में होना स्वीकार करते हुये मूल पंचनामा को प्रदर्श क-1, अभियुक्त जमीन अहमद व राकेश वर्मा से बरामद डायरी को क्रमशः वस्तु प्रदर्श-1 व वस्तु प्रदर्श-2 के रूप में साबित किया है तथा यह भी बयान दिया है कि स्वतन्त्र गवाहो के बयान पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं। अभियुक्त प्रकाश वर्मा का बयान उसके सामने उसने स्वयं अपने लेख व हस्ताक्षर में दिया था। बयान पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है । देव प्रकाश वर्मा के द्वारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रपत्र उसने अपने लेख हस्ताक्षर में तैयार किया था जिसकी कार्बन प्रति पर उसके हस्ताक्षर मूल रूप से मौजूद है। देव प्रकाश वर्मा का पुनः बयान उसके द्वारा जारी समन के अनुपालन में उसकी उपस्थित आने पर उसके समक्ष उसने स्वयं अपने लेख व हस्ताक्षर में लिख लिखकर दिया। बयान के पूर्व उसे यह बता दिया गया था कि यह बयान उसके विरुद्ध व साक्ष्य में पढ़ा जाएगा तत्पश्चात उसने अपना बयान स्वेच्छा से अंकित किया। तत्पश्चात देव प्रकाश वर्मा को गिरफ्तारी का कारण बताकर उसकी एक प्रति उसे देकर उसने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी मेमो की कार्बन प्रति जिस पर उसके हस्ताक्षर मूल रूप से मौजूद है । इसी प्रकार राकेश वर्मा का धारा 50 का अनुपालन का प्रपत्र उसके सहयोगी निरीक्षक एस.के. मिश्रा ने तैयार किया जिसकी कार्बन प्रति शामिल मिशन है जिस पर एसके मिश्रा के हस्ताक्षर मौजूद हैं उनके लेख व्यवस्था कर को वह पहचानता है इसे वह सत्यापित कर रहा है । अभियुक्त राकेश वर्मा का बयान उसके समक्ष उसने स्वयं अपने लेख व हस्ताक्षर में अंकित किया, बयान पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है ।

राकेश वर्मा का पुनः बयान उसके द्वारा जारी समन के अनुपालन में उपस्थित आने पर अंकित हुआ। बयान से पूर्व उसे बताया गया था कि यह बयान उसके व अन्य के विरुद्ध साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। तत्पश्चात अपना बयान स्वेच्छा से अपने लेख व हस्ताक्षर में अंकित किया। तत्पश्चात अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरफ्तारी मेमो की एक प्रति देकर उसने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी मेमो की कार्बन प्रति उसके सामने है, जिस पर उसके हस्ताक्षर मूल रूप से मौजूद है। अभियुक्त सुरेश कांस्यकार का धारा 50 के अनुपालन का प्रपत्र उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, प्रपत्र उसके सामने है जिस पर उसके हस्ताक्षर मूल रूप से मौजूद हैं। अभियुक्त सुरेश कांस्यकार का बयान उसके समक्ष उसने स्वयं अपने लेख व हस्ताक्षर में अंकित किया था। पुनः सुरेश कांस्यकार का बयान उसके द्वारा जारी समन के अनुपालन में उपस्थित आने पर उसने स्वयं अपने लेख व हस्ताक्षर में दिया। बयान के पूर्व उसे बताया गया कि यह बयान उसके व अन्य के विरुद्ध साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। तत्पश्चात उसने अपना बयान स्वेच्छा से अंकित किया। तत्पश्चात अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताकर व गिरफ्तारी मेमो की एक प्रति देकर साक्षी ने गिरफ्तार किया।

साक्षी पी.डब्ल्यू.1 का अग्रेतर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन है कि अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा के बयान दिनांक 17.04.2001 के आधार पर होटल वेंकटेश मलदहिया वाराणसी में दो गवाहान देवानंद राय व सतीश कुमार राय को लेकर दिनांक 18.04.2001 रात्रि 12:15 बजे की सूचना पर उक्त होटल के कमरा नंबर 205 में तलाशी हेतु कुछ लोग गए जिसमें अभियुक्त विजय सिंह के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। जिसका पंचनामा साक्षी के सहयोगी राजेश्वर प्रसाद अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। अभियुक्त विजय सिंह के धारा 50 के अनुपालन का प्रपत्र उसने स्वयं अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था तथा अभियुक्त विजय सिंह ने अपनी स्वेच्छा से उसके समक्ष लेखक पंकज सिंह द्वारा बोलकर लिखवाया तथा पढ़कर सुनाने के बाद विजय सिंह ने अपना हस्ताक्षर बनाया। अभियुक्त विजय सिंह को गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरफ्तारी मेमो की एक प्रति देकर उसने गिरफ्तार किया। अभियुक्त के बयान के आधार पर अभियुक्त जमील कुरैशी रामापुर स्थित मकान की तलाशी दो साक्षी आर.के. वर्मा व राजेंद्र कुमार के समक्ष ली गई वहां पर कासिम नमक व्यक्ति मिला उसके समक्ष तलाशी ली गई और पंचनामा बनाया गया। कासिम का बयान भी उसके समक्ष अंकित किया गया था, जिसे उसने हेमंत कुमार पाण्डेय द्वारा बोलकर लिखवाया था। कासिम के बताने पर कि अभियुक्त जमील अहमद इस वक्त नदूसड़ स्थित मकान में है। अतः कासिम को लेकर के उक्त मकान पर पहुंचे जहां अभियुक्त जमील अहमद मौजूद मिला उक्त मकान की तलाशी उसके समक्ष ली गई और इसका पंचनामा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया। धारा 50 का अनुपालन का प्रपत्र अभियुक्त जमील कुरैशी का उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया तथा अभियुक्त जमील कुरैशी उसके द्वारा जारी समन के अनुपालन में उपस्थित आने पर अपना बयान स्वेच्छा से अपने लेख व हस्ताक्षर अक्षर में अंकित किया । तत्पश्चात अभियुक्त जमील अहमद को गिरफ्तारी का कारण बताकर साक्षी ने गिरफ्तार किया। अभियुक्त देव प्रकाश व सुरेश कांस्यकार विभागीय अभिरक्षा से रात्रि दिनांक 18.04.2001 को फरार हो गया जिसकी रिपोर्ट साक्षी ने दिनांक 19.04.2001 को कैण्ट में अंकित कराया था। अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा यहां से फरार होने के बाद थाना कोतवाली गाजीपुर के एक मुकदमे में अपनी जमानत तुड़वाकर गाजीपुर न्यायालय को आत्मसमर्पण किया। सुरेश कांस्यकार वाराणसी सीजेएम के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

साक्षी पी.डब्ल्यू.1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया गया है कि उसने इस मुकदमे का धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारी को अपने लेख में पत्र में प्रेषित किया।अभियुक्त सुरेश कांस्यकार का बयान उसके सरेंडर होने की बात

दिनांक 03.06.2001 को लिया था जिसे उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में अंकित करके दिया था। उसने अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास थाना कोतवाली गाजीपुर से मंगाया गया था जिस पर जमील अहमद, देव प्रकाश वर्मा तथा सुरेश कांस्यकार का आपराधिक इतिहास कोतवाली गाजीपुर द्वारा दिया गया जिसको सत्यापित किया गया। नमूना जांच हेतु मय टेस्ट मेमो गवर्नमेंट ऑफिस फैक्ट्री भेजा गया था। जांच के पश्चात पत्र के साथ रिपोर्ट व टेस्ट मेमो प्राप्त हुआ। उसने जांच के पश्चात परिवाद पत्र अपने लेख व हस्ताक्षर में न्यायालय में दिनांक 17.07.2001 को दाखिल किया । अभियुक्त विजय सिंह, राकेश वर्मा को सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

साक्षी पी.डब्ल्यू.1 का यह भी कथन है कि इस मुकदमे में जब्तशुदा माल को जरिये इन्वेंटरी मेमो उसने अपने हस्ताक्षर में कस्टम गोदाम में जमा किया था। मूल इन्वेंटरी में गोदाम रजिस्टर व माल मुकदमा गोदाम इंचार्ज श्री विनोद कुमार लेकर हाजिर है। गोदाम रजिस्टर से डिपाजिट नंबर 2/2001 दिनांक 17.04.2001 से जमा किया गया है। मूल इन्वेंटरी रजिस्टर उसके सामने है जिसकी छाया प्रति वह जमा कर रहा है जिसे वह सत्यापित करके दाखिल कर रहा है। प्रकरण में सेकंड सैंपल व जांच के बाद रेमनेन्ट गोदाम में नहीं मिला जिसकी रिपोर्ट सहायक आयुक्त सीमा शुल्क वाराणसी ने लिखित रूप से दिया। जब्तशुदा माल सफेद(मटमैले) रंग के कपड़े में सील मुहर अवस्था में उसके सामने है, जिस पर अभियुक्तगण, अधिकारीगण व स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर मौजूद हैं। जब्त माल न्यायालय के समक्ष विपक्षी अधिवक्ता की मौजूदगी में खोला गया तो उसमें हरे रंग का पिट्ठू बैग पाया गया। हरे रंग के बैग को खोलने पर सफेद रंग के कपड़े में लिपटा हुआ पॉलिथीन में पैकेट मिला जिसमें भूरे रंग का जमा हुआ अवस्था में नशीला पदार्थ हेरोइन प्राप्त हुआ।

अभियोजन की ओर से परीक्षित एक अन्य **पी0 डब्लू0 2 गौरीशंकर पाण्डेय** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह अप्रैल सन 2001 में हैसियत निरीक्षक सीमा शुल्क वाराणसी में तैनात था। दिनांक 17.04.2001 को गुप्त सूचना उनके सहयोगी संजय कुमार तिवारी को प्राप्त हुई थी। उस टीम में वह भी था। वे लोग लगभग 18:30 बजे अपने कार्यालय से प्रस्थान करके लगभग 19.00 बजे तीन संदिग्ध व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहे थे। मुखबिर द्वारा यह बताने पर यह वही संदिग्ध व्यक्ति हैं, जिनके पास एक किलोग्राम हेरोइन है। तत्पश्चात वहां उपस्थित दो व्यक्तियों को बुलाया गया और वे लोग अपना परिचय देकर उन्हें प्राप्त सूचना देकर उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया तथा उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम शमशाद अहमद और दूसरे ने सैयद अली मुशर्रत बताया। इसके बाद गवाहों को साथ लेकर चेतक पर खड़े संदिग्ध व्यक्तियों के पास पहुंचे और अधिकारियों ने अपना परिचय देकर प्राप्त सूचना से उन्हें अवगत कराया गया और उन्हें यह बताया गया कि उनके पास मादक पदार्थ हेरोइन है। अतः उनकी तलाशी लेना है उनका यह अधिकार है कि वह अपनी तलाशी किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी दे सकते हैं। इस आशय का एक लिखित प्रपत्र तैयार किया गया। तत्पश्चात अधिकारीगण अपनी तलाशी देने का अनुरोध कि जिस पर उन लोगों ने मना किया। तीनों संदिग्ध व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम देव प्रकाश, दूसरे ने अपना नाम राकेश कुमार वर्मा, तीसरे ने अपना नाम सुरेश कांस्यकार बताया। अभियुक्त देव प्रकाश के दाहिने कंधे पर स्कूली बैग पाया गया तथा दो अन्य व्यक्तियों के पास कोई सामान नहीं था। अधिकारियों ने देव प्रकाश की बैग की तलाशी लिया तो बैग खोलकर एक सफेद गमछा मिला जिसको बाहर निकाल कर देखने पर उसमें भूरे रंग का पाउडर पाया गया इसके बारे में पूछने पर देव प्रकाश ने उसे हेरोइन होना बताया। इस बैग में एक डायरी बरामद हुई जिसमें बहुत सारे फोन नंबर व पता लिखे थे। इसके अलावा तीनों व्यक्तियों के पास से कोई चीज बरामद नहीं हुआ। साथ ले गए टेस्ट किट से जांच करने पर उक्त बरामद

पाउडर हेरोइन पाया गया। पूछताछ पर देव प्रकाश ने बताया उनको यह माल हेरोइन जमील नाम व्यक्ति ने लहुराबीर श्रीराम लॉज के पास दिया था। वर्तमान समय में जमील चिड़ियाघर चौराहे से रामापुर जाने वाली सड़क से गली एक किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता है। देव प्रकाश ने जमील का हुलिया भी बताया था। पूछताछ में देव प्रकाश ने यह भी बताया उक्त हेरोइन मनोज दुबे को चेतक होटल के सामने देना था। पूछताछ में राकेश वर्मा वेद प्रकाश ने यह भी बताया कि बरामद हेरोइन जमील दिया था। जमील राजस्थान निवासी जो एक होटल स्थित वेंकटेश के कमरा नंबर 205 में ठहरा हुआ है। जमील ने इस होटल में जाकर बरामद हेरोइन की खरीदा था। वे लोग अपने साथ ले गये तराजू वाट से बरामद हेरोइन का वजन किया तो पॉलिथीन का वजन निकालने के बाद 990 ग्राम पाया गया। उसमें से पांच-पांच ग्राम के दो नमूने निकालकर उसे पॉलिथीन के पैकेट में रखकर सील कर उसे कागज के लिफाफे में डालकर सील मोहर किया गया। शेष बरामद हेरोइन भी उसी पॉलिथीन के पैकेट में रखकर इस गमछा में लपेटकर इस बैग में रखकर सील मोहर किया गया सभी पर अधिकारीगण, पंचगण व अभियुक्तगण अपने-अपने हस्ताक्षर किए। बरामद डायरी पर अधिकारियों, गवाहों व अभियुक्तगण का हस्ताक्षर बनाया गया। इस बरामदगी का पंचनामा साक्षी के सहयोगी संजय तिवारी ने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया, जिसको पढ़कर सुनने के पश्चात उस पर सभी अधिकारीगण, पंचगण व अभियुक्तगण ने अपना अपना हस्ताक्षर बनाये। माल सील करने में प्रयुक्त सील का नमूना फर्द पर अंकित किया गया है और फर्द की एक-एक प्रति अभियुक्तगण को देकर उनके हस्ताक्षर बनाया गया। यह कार्यवाही 22:30 बजे तक चली अभियुक्तगण के बयान के पश्चात अनुवर्ती कार्यवाही के दौरान वे लोग दिनांक 17/18.04.2001 के रात्रि में होटल वेंकटेश मलदहिया पर पहुंचे जहां दो गवाह देवानंद राय वह सतीश कुमार भी बुलाया गया और उन्हें प्राप्त सूचना से अवगत करके मौजूद रहने का अनुरोध किया गया। वे लोग गवाहों के साथ कमरा नंबर 205 होटल वेंकटेश में गए और कमरे की तलाश से ली गई जिसमें विजय के अलावा अन्य लोग मौजूद मिले। सब की तलाशी ली गई। अभियुक्त विजय के बैग से एक कट्टा एक कारतूस बरामद हुआ इसके अतिरिक्त कोई भी समान नहीं बरामद नहीं हुआ। मौके पर पंचनामा तैयार किया गया जिसे पढ़कर सुनाने के पश्चात अधिकारीगण, पंचगगण व अभियुक्तगण विजय तथा अन्य लोगों की मौजूदगी में अपने-अपने हस्ताक्षर बनाए। अनुवर्ती कार्यवाही में दिनांक 28.4.2001 को प्रातः 6:30 बजे अभियुक्त जमील रामापुरा स्थित मकान नंबर D-47/33 पर पहुंचे वहां पास के दो व्यक्तियों को बुलाया गया जिनका नाम पता पूछा गया और उन्हें प्राप्त सूचना से अवगत कराकर उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया तत्पश्चात उनकी सहमति प्राप्त कर अभियुक्त जमील के कमरे का दरवाजा खुलवाया गया तो वहां कासिम मिला, जिसने बताया कि अभियुक्त जमील 18.04.2001 को उसे मकान की चाबी सौंपकर नई सड़क स्थित एक भवन में है। कमरे की तलाशी ली गई। कमरे से कोई अवैध सामान बरामद नहीं हुआ। इसका पंचनामा तैयार किया गया। जिसे पढ़कर सुनकर अधिकारीगण, पंचगणव कासिम के हस्ताक्षर बनाया। उस एक प्रति देकर उसे अपनी साथ लेकर जमील अहमद के ठहरे हुए मकान पर दिनांक 22.05.2001 को गये। गवाह ने प्रदर्श क-1 को देखकर कहा की इस पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। गवाह ने प्रदर्श क-3, क-21, क-19, क-23, क-24, क-28, क-4, क-7, क-10, क-12, क-15 व 17 देख कर कहा कि इन सभी प्रपत्र पर साक्षी के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

6- दौरान विचारण अभियोजन साक्षी संख्या-1 संजय कुमार तिवारी ने अपने साक्ष्य में मूल पंचनामा प्रदर्श क-1, अभियुक्त जमील अहमद से बरामद डायरी वस्तु प्रदर्श -1, बयान गवाह शमशाद अहमद प्रदर्श क -2, बयान गवाह मुसर्रफ अली प्रदर्श क-3, अभियुक्त देव प्रकाश का बयान प्रदर्श क-4, देव प्रकाश के धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रपत्र प्रदर्श क-5,

अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा के समन प्रदर्श क-6, अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा के पुनः बयान प्रदर्श क-7, अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा का गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श क-8, अभियुक्त राकेश वर्मा का धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रपत्र प्रदर्श क-9, अभियुक्त राकेश वर्मा का बयान प्रदर्श क-10, अभियुक्त राकेश वर्मा को जारी समन प्रदर्श क-11, अभियुक्त राकेश वर्मा का पुनः बयान प्रदर्श क-12, अभियुक्त राकेश वर्मा का गिरफ्तारी प्रदर्श क-13, अभियुक्त सुरेश कांस्यकार का धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श क-14, अभियुक्त सुरेश कांस्यकार का बयान प्रदर्श क-15, अभियुक्त सुरेश कांस्यकार को जारी समन प्रदर्श क-16 व अभियुक्त सुरेश कांस्यकार का पुनः बयान प्रदर्श क-17, अभियुक्त सुरेश कांस्यकार का गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श क-18, होटल वेंकटेश का पंचनामा प्रदर्श क-19, अभियुक्त विजय सिंह का धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रपत्र, प्रदर्श क-20, अभियुक्त विजय सिंह का बयान प्रदर्श क-21, अभियुक्त विजय सिंह का गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श क-22, अभियुक्त जमील कुरैशी रामापुर स्थित मकान की तलाशी का पंचनामा प्रदर्श क-23, कासिम का बयान प्रदर्श क-24, अभियुक्त जमील अहमद के नदूसड़ स्थित मकान की तलाशी का पंचनामा प्रदर्श क-25, अभियुक्त जमील कुरैशी के धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रपत्र, प्रदर्श क-26, अभियुक्त जमील कुरैशी का बयान प्रदर्श क-28, अभियुक्त जमील अहमद का गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श क-29, धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की रिपोर्ट प्रदर्श क-30, अभियुक्त सुरेश कांस्यकार का बयान प्रदर्श क-31, अभियुक्तगण जमील अहमद, देव प्रकाश वर्मा तथा सुरेश कांस्यकार का आपराधिक इतिहास प्रदर्श क-32, नमूना जांच हेतु प्रेषित पत्र प्रदर्श क-33, टेस्ट रिपोर्ट प्रदर्श क-34, टेस्ट मेमो, प्रदर्श क-35, परिवाद पत्र प्रदर्श क-36, इन्वेंटरी की फोटो कॉपी प्रदर्श क-37, गोदाम रजिस्टर के फोटो कॉपी प्रदर्श क-38, रिपोर्ट सहायक आयुक्त सीमा शुल्क वाराणसी प्रदर्श क-39 तथा अभियुक्त राकेश वर्मा से बरामद डायरी वस्तु प्रदर्श-2, लिफाफा वस्तु प्रदर्श-3, गमछा वस्तु प्रदर्श 1, पिट्ठू बैंग वस्तु प्रदर्श 2 तथा सील मोहर कपड़ा को वस्तु प्रदर्श 3 के रूप में साबित किया गया है।

7- अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत अभियुक्तगण सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना, राकेश वर्मा उर्फ मुन्ना व जमील अहमद के बयान अन्तर्गत धारा-313 दंड प्रकिया संहिता अंकित किया गया।

(i)**अभियुक्त सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 दंड प्रकिया संहिता में अभियोजन कथानक को गलत होना तथा चेतक होटल के पास कोई बरामदगी, नामजदगी व गिरफ्तारी की घटना न होने के कथन किया गया है।

अभियुक्त सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना द्वारा अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 संजय कुमार तिवारी द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य के संबंध में कथन किया गया है कि साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 संजय कुमार तिवारी द्वारा गलत बयान दिया गया है तथा सम्पूर्ण घटना बनावटी व फर्जी है।

अभियुक्त सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना द्वारा अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. गौरी शंकर पाण्डेय, निरीक्षक द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य के संबंध में कथन किया गया है कि साक्षी द्वारा गलत बयान दिया गया है तथा उसके सामने ऐसी कोई हेरोइन की बरामदगी नही हुयी ।

अग्रेतर सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना का अपने बयान अंर्तगत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह भी कथन है कि वादी गाजीपुर के निवासी है। लोगों को डरा धमका कर आर्थिक लाभ के लिए फर्जी मुकदमें में फंसा दिये है। साक्षीगण द्वारा रंजिशन व विभागीय होने तथा वादी के हेली मेली होने के कारण उसके विरूद्ध गवाही दी है। उसे गाजीपुर से पकडकर फर्जी मुकदमें में फंसा दिया है। उससे कोई हेरोइन बरामद नही हुई तथा सारे कागजात व बयानात फर्जी तौर पर डरा धमका कर तैयार किये गये है। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया है।

(ii) **अभियुक्त जमील अहमद** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 दंड प्रकिया संहिता में अभियोजन कथानक को गलत होना तथा चेतक होटल के पास कोई बरामदगी, नामजदगी व गिरफ्तारी की घटना न होने के कथन किया गया है।

अभियुक्त जमील अहमद द्वारा अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 संजय कुमार तिवारी द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य के संबंध में कथन किया गया है कि साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 संजय कुमार तिवारी द्वारा गलत बयान दिया गया है तथा सम्पूर्ण घटना बनावटी व फर्जी है।

अभियुक्त जमील अहमद द्वारा अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. गौरी शंकर पाण्डेय, निरीक्षक द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य के संबंध में कथन किया गया है कि साक्षी द्वारा गलत बयान दिया गया है तथा उसके सामने ऐसी कोई हेरोइन की बरामदगी नही हुयी ।

अग्रेतर जमील अहमद का अपने बयान अंर्तगत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह भी कथन है कि वादी गाजीपुर के निवासी है। लोगों को डरा धमका कर आर्थिक लाभ के लिए फर्जी मुकदमें में फंसा दिये है। साक्षीगण द्वारा रंजिशन व विभागीय होने तथा वादी के हेली मेली होने के कारण उसके विरूद्ध गवाही दी है। उसे गाजीपुर से पकडकर फर्जी मुकदमें में फंसा दिया है। उससे कोई हेरोइन बरामद नही हुई तथा सारे कागजात व बयानात फर्जी तौर पर डरा धमका कर तैयार किये गये है। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का कथन किया गया है।

(iii) **अभियुक्त राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 दंड प्रकिया संहिता में अभियोजन कथानक को गलत होना तथा चेतक होटल के पास कोई बरामदगी, नामजदगी व गिरफ्तारी की घटना न होने के कथन किया गया है।

अभियुक्त राकेश वर्मा द्वारा अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 संजय कुमार तिवारी द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य के संबंध में कथन किया गया है कि साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 संजय कुमार तिवारी द्वारा गलत बयान दिया गया है तथा सम्पूर्ण घटना बनावटी व फर्जी है।

अभियुक्त राकेश वर्मा द्वारा अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. गौरी शंकर पाण्डेय , निरीक्षक द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य के संबंध में कथन किया गया है कि साक्षी द्वारा गलत बयान दिया गया है तथा उसके सामने ऐसी कोई हेरोइन की बरामदगी नही हुयी ।

अग्रेतर सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना का अपने बयान अंर्तगत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह भी कथन है कि वादी गाजीपुर के निवासी है। लोगों को डरा धमका कर आर्थिक लाभ के लिए फर्जी मुकदमें में फंसा दिये है। साक्षीगण द्वारा रंजिशन व विभागीय होने तथा वादी के हेली मेली होने के कारण उसके विरूद्ध गवाही दी है। उसे गाजीपुर से पकडकर फर्जी मुकदमें में फंसा दिया है। उससे कोई हेरोइन बरामद नही हुई तथा सारे कागजात व बयानात फर्जी तौर पर डरा धमका कर तैयार किये गये है। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने कर कथन किया गया है।

8- अभियुक्तगण जमील अहमद, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार सफाई साक्ष्य में कोई अभिलेखीय या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

9- दौरान बहस अभियोजन पक्ष की ओर विशेष लोक अभियोजक, डी.आर.आई. द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध पंचनामा, बयान अभियुक्तगण व स्वतन्त्र साक्षीगण अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट, पाकेट डायरी वस्तु प्रदर्श 1 व 2, गिरफ्तारी मेमो, प्रपत्र अन्तर्गत धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट से यह साबित है कि अभियुक्तगण राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू, सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना व सह अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा को अवैध हेरोइन शुद्ध वजन 990 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया गया जिसे अभियुक्तगण द्वारा कमीशन पर विक्रय करने हेतु अभियुक्त जमील अहमद से साहू अण्डे वाले के दुकान पर प्राप्त किया गया तथा घटना के समय वह लोग बरामदशुदा अवैध हेरोइन को मनोज दुबे उर्फ

नेता उर्फ पण्डित को देने के लिये चेतक होटल के पास खडे थे । अभियुक्त जमील अहमद द्वारा उक्त बरामद हेरोइन सह अभियुक्त विजय सिंह से क्रय किया गया । अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये पी. डब्ल्यू. 01 संजय कुमार तिवारी व पी. डब्ल्यू. 02 गौरीशंकर पाण्डेय के मौखिक साक्ष्य से अभियोजन के उपरोक्त कथानक का पूर्ण समर्थन होता है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श क-1 ता प्रदर्श क-39 व वस्तु प्रदर्श-1 ता वस्तु प्रदर्श -3 से होती है । अतः अभियुक्तगण जमील अहमद, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार, अपराध अंतर्गत धारा 8/21/27A/29 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है ।

10- अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्तगण जमील अहमद, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार से कोई मादक पदार्थ की बरामदगी नही हुई है। अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवाद पत्र धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट के बयानों के आधार मात्र प्रस्तुत किया गया । उक्त धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट के बयान साक्ष्य में ग्राह्य नही है । प्रस्तुत प्रकरण में घटना की तिथि 17.04.2001 होना कहा गया है, वर्ष 2001 में प्रवर्तनीय विधि के अनुसार बरामद कुल पदार्थ में मादक पदार्थ का प्रतिशत बताया जाना आवश्यक है, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया कि बरामद पदार्थ में हेरोइन का प्रतिशन कितना था, जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष नोटिफीकेशन दिनांक 19.10.2001 के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन नही किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक 17.04.2001 को बरामद कथित हेरोइन को दिनांक 19.04.2001 को मालखाने में दाखिल किया गया है। परंतु अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नही किया गया है कि बरामद हेरोइन से निकाले गये नमूने बरामदगी की तिथि से 17.04.2001 से रिमाण्ड की तिथि 19.04.2001 तक किस सेफ कस्टडी में थी, माल खाना रजिस्टर्ड में भी सभी मुल्जिमों का नाम अंकित नही है, तथा अभियुक्त देव प्रकाश शर्मा, जिससे अवैध हेरोइन बरामद होना कहा जाता है, का नाम भी माल खाना रजिस्टर्ड में अंकित नही है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 42 व धारा 50 का अनुपालन नही किया गया है। अभियुक्तगण जमील अहमद, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार को केवल सह-अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा व विजय सिंह के बयान अंतर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस., एक्ट के बयानों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध में संलिप्त होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा लगाये गये उपरोक्त आरोप संदेह से परे साबित नही है तथा अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में सुस्थापित विधि व्यवस्था तूफान सिंह बनाम तमिलनाडू राज्य, 2020(2) जे.आई.सी. 417, एस.सी., हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 2011 (2) इ.एफ.आर. 5, करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2010 (1) ई.एफ.आर. 495 पर बल दिया गया ।

11- उभय पक्ष के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वर्तमान प्रकरण के प्रभावी निस्तारण हेतु धारा 354(1)(बी) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु विरचित किए जाते हैं-

(i) क्या अभियुक्त जमील अहमद द्वारा राजस्थान निवासी, सह-अभियुक्त विजय सिंह से दिनांक 17.04.2001 को लगभग एक किलोग्राम अवैध हेरोइन क्रय कर उसे सह-अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा व राकेश वर्मा को कमिशन के आधार पर बेचने के लिये साहू अण्डेवाले की दुकान पर दिया गया**?**

अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी. (14th वि.आ.), वाराणसी

(ii) क्या अभियुक्त सुरेश कांस्यकार को इस तथ्य की जानकारी थी कि सह-अभियुक्तगण देव प्रकाश वर्मा व राकेश वर्मा के पास अवैध हेरोइन है **?**

(iii) क्या अभियुक्तगण जमील अहमद, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार, मादक पदार्थ हेरोइन के अवैध व्यापार में संलिप्त थे**?**

(iv) क्या अभियुक्तण जमील अहमद, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार द्वारा उक्त हेरोइन के अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने व मादक पदार्थ हेरोइन का व्यापार करने के लिये अपराधियों को संश्रय दिया गया **?**

(v) क्या अभियुक्तगण जमील अहमद, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार द्वारा आपराधिक षड़यंत्र व दुष्प्रेरण कर अवैध हेरोइन का व्यापार किया गया**?**

(vi) क्या अभियोजन पक्ष द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है**?**

निष्कर्ष

12- प्रकरण में अभियुक्तगण जमील अहमद, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 8/21/27A/29 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के संबंध में अभियोजन साक्ष्य के विश्लेषण के पूर्व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौरान बहस मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के अनुपालन न किये जाने के संबंध में प्रस्तुत तर्कों के संबंध में अभियोजन कथानक व अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है।

13- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा परिवाद पत्र में दिनांक 17.04.2001 में प्राप्त गुप्त सूचना से अपने उच्चाधिकारियों की लिखित रूप में अवगत कराये जाने का कथन किया गया है, परंतु ऐसी कोई लिखित सूचना पत्रावली पर उपलब्ध नही है, जिससे स्पष्ट है कि राजस्व आसूचना अधिकारीगण द्वारा **धारा 42 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम** का अनुपालन नही किया गया है ।

जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 17.04.2001 को प्राप्त गुप्त सूचना को लिखित रूप में परिवादी/सूचना प्राप्तकर्ता संजय कुमार तिवारी द्वारा अवगत कराया गया है, जिसकी पुष्टि साक्षी पी. डब्ल्यू. 01 संजय कुमार तिवारी व पी. डब्ल्यू. 02 गौरी शंकर पाण्डेय द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में सह-अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा से अवैध हेरोइन की तलाशी व अभिग्रहण की कार्यवाही कैण्ट रेलवे स्टेशन के सामने स्थित चेतक होटल के पास से खुले स्थान पर की गयी है, अतः धारा 42 के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधानों का अनुलापन करना आवश्यक नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध परिवाद पत्र प्रदर्श क-36 व पंचनामा प्रदर्श क-1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 17.04.2001 को समय 17.30 बजे, स्थान सीमा शुल्क मण्डल कार्यालय पर परिवादी संजय कुमार तिवारी को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति देव प्रकाश वर्मा, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार अवैध मादक पदार्थ धंधे में लिप्त है, जो इस समय कैण्ट रेलवे स्टेशन, वाराणसी के सामने स्थित चेतक होटल के पास अपने ग्राहको को डिलेवरी देने वाले है, जिस पर परिवादी संजय कुमार तिवारी द्वारा लिखित रूप से अपने उच्चाधिकारी को अवगत कराकर तथा उनके निर्देश में एक टीम गठन किया गया तथा टीम के साथ विभागीय वाहन से समय 18.30 बजे सीमा शुल्क कार्यालय से प्रस्थान कर समय 19.00 बजे चेतक होटल पहुच कर तथा दो गवाह शमशाद अहमद खाँन व सैय्यद मुसर्रत से सम्पर्क उन्हें अपना तथा टीम के अन्य सदस्यों का परिचय कराते हुए प्राप्त सूचना से अवगत कराया

तदोपरांत उपरोक्त गवाहों को साथ लेकर निवारक दल के साथ उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को उनके धारा 50 एन.डी.पी.एस., एक्ट के अधिकार से लिखित रूप से अवगत कराते हुए तथा उनके लिखित सहमति कराते हुए उपरोक्त तीनों व्यक्तियों से जामातलाशी ली गयी, जिसमें सह-अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा के दाहिने कंधे पर रखते हुए हरे रंग स्कूली बैग जिस पर एडीदास लिखा हुआ था, से भूरे रंग का मादक पदार्थ हेरोइन कुल वजन 995 ग्राम तथा एक पॉकेट डायरी बरामद की गयी ।

इस संबंध में साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 संजय कुमार तिवारी का अपनी मुख्य परीक्षा में कथन है कि दिनांक 17.04.2001 समय लगभग 05.30 बजे सायंकाल उसे सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति क्रमशः देव प्रकाश वर्मा, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में लिप्त है, तथा कैण्ट रेलवे स्टेशन के सामने स्थित चेतक होटल के पास उक्त मादक पदार्थ की डिलेवरी देने वाले है, उसने इस सूचना को लिखित रूप में अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया।

अपनी प्रति परीक्षा में उक्त साक्षी का कथन है कि मुखबिर द्वारा सूचना घटना के दिन कार्यालय में प्राप्त हुई। मुखबिर की उक्त सूचना को रिकार्ड किया गया था। उक्त सूचना को अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया था, उक्त सूचना दो प्रतियों में तैयार किया था, परंतु उक्त में से कोई भी प्रति कोर्ट में दाखिल नही की है। मुल्जिमान सड़क के किनारे ही पकड़े गये थे ।

एक अन्य अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 02 गौरीशंकर पाण्डेय, जिसे सर्च टीम का सदस्य होना कहा जाता है, ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 17.04.2001 को गुप्ता सूचना उसके सहयोगी संजय कुमार तिवारी को प्राप्त होने का कथन किया गया है।

अपनी प्रति परीक्षा में साक्षी पी. डब्ल्यू. 02 का कथन है कि घटना के दिन वह कार्यालय में ही था, उन्हें सूचना मिली थी कि एक आदमी हेरोइन डिलेवरी करने वाला है, यह सूचना निरीक्षक संजय कुमार तिवारी का समय लगभग 05.30 बजे में मिली थी। यह सूचना गुप्त मिली थी जब गुप्ता सूचना प्राप्त हुई, उसका रिकार्ड मेनटेन किया जाता है। एक फार्म भरा जाता है, लिखित रूप से अधिकारी को सूचना दी जाती है। मौखिक रूप से विस्तार से बताया जाता है, जिसने सूचना प्राप्त की थी, उन्होंने ही फार्म भरा था। संजय तिवारी ने फार्म भरा था। फार्म एक प्रति में भरा जाता है, जो अधिकारी को भेजा जाता है। उसे जानकारी नही है कि फार्म कितने बजे भर कर भेजा गया था । कार्यालय के सहायक आयुक्त सीमा शुल्क को सूचना दी जाती है, उनके न रहने पर अधीक्षक सीमा शुल्क को सूचना दिया जाता है। यह कहना गलत है कि कोई सूचना फार्म नही तैयार किया गया, अतः कोई कागज उससे संबंधित पत्रावली में नही है, स्वयं कहा कि इससे संबंधित जानकारी संजय तिवारी को होगी ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में सह-अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा से अवैध हेरोइन शुद्ध वजन 990 ग्राम, कैंट रेलवे स्टेशन पर स्थित चेतक होटल के सामने सड़क के किनारे बरामद किया गया है। साक्षी पी. डब्ल्यू. 01 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि मुखबिर के बाद घटनास्थल पर जाते समय अपने विभाग या किसी अन्य विभाग के राजपत्रित अधिकारी को अपने टीम में शामिल नही किया था । घटना के समय सी.ओ. कैण्ट का कार्यालय कचहरी से सटा हुआ था । सी.ओ. कैण्ट को मौके पर बुलाने का प्रयास नही किया गया था।

इस संबंध में धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अनुसार जब गुप्त सूचना इस आशय की प्राप्त हुई हो कि कोई स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ, जो एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है या ऐसा कोई अन्य दस्तावेज या वस्तु जो अपराध से संबंधित साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति या ऐसा कोई अन्य दस्तावेज या अन्य वस्तु जो अवैध सम्पत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है, जो

एन.डी.पी.एस. एक्ट के अध्याय 5 के अधीन अभिग्रहण, स्थिरीकरण या समपहरण के लिये दायी है, किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्ठित स्थान में रखी पायी गयी है, को सूचना प्राप्तकर्ता अधिकारी ऐसी सूचना को लिखिबद्ध करेगा तथा उसकी एक प्रति अपने वरिष्ठ अधिकारी को 72 घण्टे के अंदर भेजेगा।

इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत सुस्थापित विधि व्यवस्था **करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2010 (1) इ.एफ.आर. 495** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा 42 (1) व (2) एन.डी.पी.एस. एक्ट का अनुपालन न किया जाना अनुमन्य नही है, हांलाकि संतोषप्रद स्पष्टीकरण के साथ विलंब से किया गया अनुपालन धारा 42 का अनुपालन किया जाना स्वीकार किये जाने योग्य है।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत एक अन्य सुस्थापित विधि व्यवस्था **मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 2015 ए.सी. 2098** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि तलाशी व अधिग्रहण की कार्यवाही लोक स्थान से की गयी है तो धारा 43 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधान लागू होंगे । धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अनुपालन न किये जाने का प्रश्न ऐसे मामलो में उत्पन्न नही होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में जैसा कि पंचनामा प्रदर्श क-1 व साक्षी पी. डब्ल्यू. 01 संजय कुमार तिवारी, पी. डब्ल्यू. 02 गौरीशंकर पाण्डेय के मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के पास अवैध मादक पदार्थ हेरोइन होने की गुप्त सूचना कैण्ट रेलवे स्टेशन स्थित चेतक होटल के पास प्राप्त हुई तथा सह-अभियुक्त देवप्रकाश वर्मा व अभियुक्तगण राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार का तलाशी व हेरोइन के अधिग्रहण की कार्यवाही उक्त चेतक होटल के पास सड़के के किनारे हुई है, जो धारा 43 एन.डी.पी.एस. एक्ट के स्पष्टीकरण के अधीन लोक स्थान के अंतर्गत आता है। अतः न्यायालय की राय में प्रस्तुत प्रकरण में धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधान लागू नही होते है ।

14- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण जमील अहमद, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार की तलाशी लेने से पूर्व **धारा 50 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम** के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन नही किया गया है।

जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण जमील अहमद, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार की जामा तालाशी एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष कराये जाने के उनके अधिकार को लिखित रूप में सूचित किया गया है तथा अभियुक्तगण की लिखित सहमति पर अभियुक्तगण की जामातलाशी डी.आर.आई. टीम द्वारा ली गयी है, अतः धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का पूर्ण अनुपालन किया गया है ।

स्वीकृत रूप से प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त जमील अहमद, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार की जामातलाशी से कोई निषिद्ध पदार्थ बरामद नही हुआ है, बल्कि मादक पदार्थ हेरोइन सह-अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा के कब्जे के स्कूली बैग से हुई है। अभियुक्त जमील अहमद की व्यक्तिगत तलाशी में उसके पैंट के पॉकेट से एक पॉकेट डायरी बरामद किया जाना दर्शित है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी पी. डब्ल्यू. 01 संजय कुमार तिवारी द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि उसने अभियुक्तगण राकेश वर्मा, सुरेश कांस्यकार व देवप्रकाश वर्मा को बताया कि वह अपनी तलाशी विभागीय राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष दे सकते है और इस संबंध में एक लिखित प्रपत्र तैयार किया गया और यह भी बताया गया कि वह चाहे तो परिवादी व उसकी टीम की तलाशी ले सकते है। तीनों

अभियुक्तगण ने तलाशी लेने से इंकार किया। तत्पश्चात अभियुक्तगण का नाम, पता पूछ कर उनकी सहमति प्राप्त कर तलाशी का कार्य प्रारंभ किया गया । अभियुक्त राकेश वर्मा का धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अनुपालन का प्रपत्र एस.के. मिश्रा व उसके सहयोगी ने तैयार किया था। जिसकी कार्बन प्रति को साक्षी पी. डब्ल्यू. 01 द्वारा प्रदर्श क-9 के रूप में साबित किया गया है। अग्रेतर साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त सुरेश कांस्यकार का धारा 50 के अनुपालन का प्रपत्र उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जो मूल रूप से पत्रावली में उपलब्ध है, जिसे साक्षी द्वारा बतौर प्रदर्श क-14 के रूप में साबित किया है। धारा 50 का अनुपालन का प्रपत्र अभियुक्त जमील कुरैशी का उसके द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क-26 के रूप में साबित किया है।

अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी. डब्ल्यू. 01 का कथन है कि मुखबिरी के बाद घटनास्थल पर जाते समय उसने अपने विभाग के या किसी अन्य विभाग के राजपत्रित अधिकारी को अपनी टीम में शामिल नही किया था । उसने क्षेत्राधिकारी कैण्ट को मौके पर बुलाने का प्रयास नही किया था । अभियुक्तगण जमील अहमद, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार के निवास स्थान पर तथा उपरोक्त की व्यक्तिगत तलाशी में कोई भी आपत्तिजनक पदार्थ बरामद नही हुआ है।

अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये एक अन्य साक्षी पी. डब्ल्यू. 02 गौरीशंकर पाण्डेय ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार को नजदीकी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित के समक्ष तलाशी देने के उनके अधिकार से अवगत कराने का समर्थन किया गया है, उक्त साक्षी ने भी अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण राकेश वर्मा, सुरेश कांस्यकार व जमील अहमद के पास से कोई मादक पदार्थ या द्रव्य बरामद नही हुआ था।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियुक्त राकेश वर्मा के धारा 50 के प्रपत्र प्रदर्श क-9, अभियुक्त सुरेश कांस्यकार के धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रपत्र प्रदर्श क-14 व अभियुक्त जमील अहमद के धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रपत्र प्रदर्श क-26 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा अभियुक्तगण राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू, सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना व जमील अहमद की जामा तलाशी से पूर्व धारा 50 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के उनके अधिकार के बारें में अभियुक्तगण को लिखित रूप से अवगत कराया गया तथा अभियुक्तगण की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरान्त अभियुक्तगण की जामा तलाशी ली गयी ।

जैसा कि पत्रावली पर उपलब्ध अभियुक्तगण राकेश वर्मा, सुरेश कांस्यकार व जमील अहमद के धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रपत्र क्रमशः प्रदर्श क-9, प्रदर्श क-14 व प्रदर्श क-26 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अवैध हेरोइन की बरामदगी सह-अभियुक्त देवप्रकाश वर्मा द्वारा कंधे पर लिये स्कूली बैग से हुई है तथा अभियुक्तगण राकेश वर्मा, सुरेश कांस्यकार व जमील अहमद की व्यक्तिगत तलाशी से कोई मादक पदार्थ बरामद नही हुआ है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित विधि व्यवस्था **Rajan Kumar Chadha Vs. State of Himachal Pradesh 2023 INSC 878** में यह अवधारित किया गया है कि एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 का अनुपालन वहाँ किया जाना आवश्यक नही है, जहाँ मादक पदार्थ की बरामदगी बैग से हुई हो।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में धारा 50 एन.डी.पी.एस. के प्रावधान आकर्षित नही होते है। तदनुसार धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अनुपालन के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

15- दौरान बहस अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण राकेश वर्मा, सुरेश कांस्यकार व जमील अहमद की व्यक्तिगत तलाशी या अभियुक्त जमील अहमद के निवास स्थान से कोई मादक पदार्थ बरामद नही हुआ है। अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवाद पत्र धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट के बयानों के आधार पर संस्थित किया गया है। अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस.एक्ट साक्ष्य में ग्राहय नही है । विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में सुस्थापित विधि व्यवस्था तूफान सिंह बनाम तमिलनाडू राज्य, 2020(2) जे.आई.सी. 417, एस.सी. पर बल दिया गया है।

जबकि विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट में वर्णित अधिकारियों के समक्ष अभियुक्तगण द्वारा धारा 67 के अधीन दिया गया स्वैच्छिक बयान साक्ष्य में ग्राह्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध पर उपलब्ध सह-अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा के बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट दिनांकित 17.04.2001, प्रदर्श क-4 से स्पष्ट है कि अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा द्वारा दिनांक 17.04.2001 को कस्टम अधिकारियों द्वारा दो निष्पक्ष गवाहों शमशाद अहमद खान व सैयद मुशर्रत अली के सामने चेतक होटल के पास उसकी, उसके मित्र सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना व उसके छोटे भाई राकेश वर्मा उर्फ पिन्टु की जामा तलाशी व उसके द्वारा दाहिने कंधे पर लटकाये हल्के हरे रंग के बैग की तलाशी लिये जाने तथा उसके बैग से हेरोइन 995 ग्राम कुल वजन तथा एक टेलीफोन डायरी बरामद किये जाने तथा उक्त टेलीफोन डायरी में कुछ लोगों के नाम व उनके टेलीफोन नंबर लिखे होने तथा अधिकारियों द्वारा उसे, व उसके साथ के उपरोक्त दोनो व्यक्तियों को समन देकर दिनांक 18.04.2001 को दोपहर 12 बजे मकबूल आलम रोड स्थित कस्टम कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाना स्वीकार किया गया है।

सह- अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट दिनांकित 18.04.2001, प्रदर्श क-7 में स्वीकार किया गया है कि दिनांक 17.04.2001 को उसके पास से बरामद हेरोइन उसे जमील कुरैशी से मिला था । उक्त जमील कुरैशी गाजीपुर का रहने वाला है और वह उसे उक्त हेरोइन कमीशन पर बेचने के लिए दिया था ।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियुक्त राकेश वर्मा के बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट दिनांकित 17.04.2001, प्रदर्श क-10 में अभियुक्त राकेश वर्मा ने दिनांक 17.04.2001 को लगभग 7.30 बजे वह अपने बडे भाई देव प्रकाश तथा मुन्ना उर्फ सुरेश कांस्यकार के साथ चेतक होटल के पास खडे होकर हेरोइन खरीदने वाले का इंतजार करने तथा सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दो निष्पक्ष गवाहों के समक्ष उसकी व उपरोक्त दोनो व्यक्तियों देव प्रकाश व सुरेश कांस्यकार की जामा तलाशी व देव प्रकाश के कंधे में लटके हरे रंग के बैग जिस पर अंग्रेजी में आदीदास लिख था, की तलाशी लेने तथा उक्त बैग से हेरोइन कुल 995 ग्राम, शुद्ध वजन 990 ग्राम बरामद होने तथा 5 -5 ग्राम के दो नमूने निकाला जाना स्वीकार किया गया है।

अभियुक्त राकेश वर्मा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट दिनांकित 18.04.2001, प्रदर्श क-12 में स्वेच्छया स्वीकार किया गया है कि वह दुकान के काम से गारमेन्टल मोती लेने बनारस आया था तथा सरस्वती होटल, कैंट के कमरा नं. 24 में अपने भाई देव प्रकाश व मुन्ना उर्फ सुरेश कांस्यकार के साथ रूका था । रामलॉज के सामने इंगलिशिया लाइन पर साहू के अण्डे की दुकान पर उसका भाई अक्सर बैठता रहता है । साहू ने बताया कि वह आया है तथा सरस्वती होटल के कमरा नंबर 24 में रूका है। साहू का पूरा नाम उसे नही मालूम है। गाजीपुर में साहू का घर टाउनहॉल के पास जमील के घर के पास है।

उसके भाई देव प्रकाश ने उसे बताया था कि उसके पास हेरोइन है । दिनांक 17.04.2001 को चेतक होटल के पास कुछ लोग खरीदने आयेंगे, वह उसके साथ रहे ताकि वह लोग पैसा दिये बिना जबरदस्ती हेरोइन लेकर न चले जाय । इसलिए वह वहॉ पर मुन्ना उर्फ सुरेश कांस्यकार तथा अपने भाई देव प्रकाश के साथ मौजूद था । उसके भाई देव प्रकाश ने हेरोइन जमील के यहॉ से खरीदी थी । वह जमील का बनारस का पता नही जानता है, गाजीपुर में उसका घर टाउनहॉल के बगल में सराय के गली में है, बडा मकान है। देव प्रकाश ने बताया कि बरामद हेरोइन को गाजीपुर के रहने वाले मनोज दुबे उर्फ पंडित को देना है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियुक्त सुरेश कांस्यकार के बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट दिनांकित 17.04.2001, प्रदर्श क-15 में अभियुक्त सुरेश कांस्यकार ने दिनांक 17.04.2001 को लगभग 7.30 बजे देव प्रकाश उर्फ टिल्लू तथा राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू के साथ चेतक होटल के पास खडे होकर हेरोइन खरीदने वाले का इंतजार करने तथा सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दो निष्पक्ष गवाहों के समक्ष उसकी व उपरोक्त दोनो व्यक्तियों देव प्रकाश व राकेश वर्मा की जामा तलाशी व देव प्रकाश के कंधे में लटके हरे रंग के बैग जिस पर अंग्रेजी में आदीदास लिखा था,की तलाशी लेने तथा उक्त बैग से हेरोइन कुल 995 ग्राम, शुद्ध वजन 990 ग्राम बरामद होने तथा 5 -5 ग्राम के दो नमूने निकाला जाना स्वीकार किया गया है। देव प्रकाश वर्मा उर्फ टिल्लू ने उसके व दोनों गवाहों के सामने अधिकारियों से बताया कि बरामद हेरोइन उसने जमील अहमद कुरैशी पुत्र जलील अहमद कुरैशी निवासी टाउनहॉल गाजीपुर से कमीशन के आधार पर खरीदा था और बेचने के लिए गाजीपुर निवासी मनोज दुबे को देने के लिए चेतक होटल के पास उन लोगों के साथ खडा था । देव प्रकाश ने उससे कहा था कि चलो वाराणसी घूमा लाये, हेरोइन की बिक्री से जो पैसा उसे मिलेगा उसमें से हजार, दो हजार उसे देगा । वह सीधा- साधा व्यक्ति, उसके बहकावे में आ गया तथा उसके साथ चला आया ।

अभियुक्त सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट दिनांकित 18.04.2001, प्रदर्श क-17 में स्वेच्छया कथन किया गया है कि दिनांक 17.04.2001 को शाम 19 बजे कैंट रेलवे स्टेशन के सामने होटल चेतक के पास अपने साथी देव प्रकाश व राकेश के साथ बातचीत कर रहा था तो कस्टम अधिकारियों ने लगभग 17.30 बजे दो गवाहों की उपस्थिति में उन्हें रोककर तलाशी के बारें में कहॉ। कस्टम अधिकारी ने लिखित रूप से उससे पूछा कि क्या वह अपी व्यक्तिगत तलाशी विभागीय राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने देना चाहते है या उनसे ही तलाशी करायेंगे । उसने स्वेच्छया कस्टम अधिकारी को लिखकर दिया कि वह स्वयं उसकी तलाशी लें ले। तलाशी के उपरान्त उसके पास से कुछ भी बरामद नही हुआ परन्तु उसके साथी देव प्रकाश के पास से एक स्कूली बैग में रखी हुयी लगभग 990 ग्राम भूरे रंग का मादक पदार्थ बरामद हुआ ।

अभियुक्त सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट दिनांकित 03.06.2001, प्रदर्श क-31 में स्वयं व देव प्रकाश के दिनांक 19.04.2001 को अभिरक्षा से पलायित होना स्वीकार करते हुये यह भी स्वेच्छया कथन किया गया है कि उसने दिनांक 17.04.2001 को जो बयान सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष दिया था, वह अक्षरशः सत्य है। उक्त बयान बिना जोर दबाव के दिया । रिकवरी मेमो दिनांक 17.04.2001 जिसमें 990 ग्राम हेरोइन की बरामदगी अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा उ़र्फ टिल्लू के पास से हुयी है। उसमें दर्ज सारा विवरण सत्य है। वह उससे पूर्ण सहमत है। राकेश वर्मा व उसका भाई देव प्रकाश वर्मा हेरोइन के अवैध व्यापार में लिप्त थे जिसकी जानकारी उसे थी लेकिन उनके द्वारा आर्थिक मदद लेने के कारण वह उनका एहसानमंद था तथा उनके बुलाने पर कभी कभी उनके साथ चला जाता था । उस दिन वह उनके साथ बनारस घूम रहा था ।

एक अन्य सह अभियुक्त विजय सिंह के बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श क-21 से स्पष्ट है कि सह-अभियुक्त विजय सिंह द्वारा स्वैच्छिक रूप में यह स्वीकार किया गया है कि वह मादक द्रव्य का व्यापार करता है। पिछले चार पॉच माह में उसने जमील निवासी गदौलिया को चार- पॉच बार मादक पदार्थ लाकर बेचा था । दिनांक 17.04.2001 को भी उसने जमील को लगभग एक किलो अवैध मादक द्रव्य हेरोइन बेचा है।

पत्रावली पर उपलब्ध कासिम के बयान दिनांकित 28.04.2001 अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श क-24 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कासिम दिनांक 28.04.2001 को सीमा शुल्क अधिकारियों ने लक्सा थाना के पुलिस के साथ मकान नं. डी47/33 पर आकर जमील अहमद कुरैशी के बारें में पूछताछ की । उसने अधिकारियों को बताया कि जमील अहमद बाहर गये है, वह उनके सामान की देखभाल के लिए मौजूद है। अधिकारियों ने बताया कि इस घर में मादक वस्तु होने की सम्भावना है तथा दिनांक 17.04.2001 को अभिग्रहीत हेरोइन के अनुवर्ती कार्यवाही हेतु जमील अहमद के आवास की तलाशी लेनी है। अधिकारियों ने दो स्वतन्त्र गवाह बुलाकर उसे तलाशी वारण्ट दिखाया । अधिकारियों ने उससे पूछा कि क्या वह चाहता है कि उसके शरीर व जमील अहमद के आवास की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष हो तो उसने बताया कि वह लोग ही तलाशी ले लें, उसे कोई आपत्ति नही है। अधिकारियों की तलाशी के दौरान कोई अवैध वस्तु बरामद नही हुयी । दो फोटो तथा दो पैकेट डायरी बरामद हुयी जिन पर उसके व गवाहों के हस्ताक्षर लिया गया । अधिकारियों ने इन सामानों के अलावा अन्य कोई सामान कब्जे में नही लिया उसने अधिकारियों को यह भी बताया कि जमील अहमद का रात में कुछ लोगों से झगडा हो गया था इसलिये जमील अहमद चेतगंज स्थित मकान नं. सी 4/370 सराय गोवर्धन पर है। सुना जाता है कि जमील अहमद का झगडा कुछ माफिया के साथ हुआ था, इसलिए भयवश उन्होनें मकान छोड दिया है।

पत्रावली पर उपलब्ध <u>अभियुक्त जमील अहमद कुरैशी के बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श क-28</u> से स्पष्ट है कि अभियुक्त जमील अहमद कुरैशी द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उसे धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन समन दिया गया तथा उसे यह समझा दिया गया कि इस धारा के अन्तर्गत दिया गया बयान उसके खिलाफ या किसी और के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है।

अग्रेतर अभियुक्त जमील अहमद कुरैशी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श क-28 में यह भी स्वीकार किया गया कि वह दिनांक 17/1804.2001 को पकडे गये विजय सिंह पुत्र लाल सिंह जिला जालवाड (कोटा) राजस्थान का है व उसका फोन नंबर पी.पी. 07431-66288 तथा 66204 है तथा उससे वह हेरोइन खरीदता है तथा पहले 5 बार 350 ग्राम, 600 ग्राम, 500 ग्राम तथा इस बार एक किलो हेरोइन रूपया 130000/- प्रति किलो की दर से खरीदा । विजय सिंह ने दिनांक 17.04.2001 को 16.00 बजे वेंकटेश होटल के कमरा नंबर 205 में उसे हेरोइन दिया तथा उसने उसे पैसा दिया । उक्त हेरोइन उसने गाजीपुर के ओम प्रकाश उर्फ देव प्रकाश उर्फ टिल्लू, राकेश वर्मा तथा सुरेश उर्फ मुन्ना को इंग्लशिया लाइन चौराहे के पास साहू अण्डे वाले दुकान पर बुला कर बेचने के लिए दिया, बेचकर वह उसे 1,60,000/-रू देते तथा वह उनको कमीशन देता । अधिकारियों ने उक्त एक किलो हेरोइन देव प्रकाश, राकेश व सुरेश के पास से बरामद किया, वह उसका है। विजय सिंह तब राजस्थान से हेरोइन लेकर आता है तो उसे उसके घर पर मिलता है तथा रेट तय होने पर उसे हेरोइन अपने होटल के कमरे पर देता है। वह पहले 40 ग्राम हेरोइन के साथ गाजीपुर पुलिस के द्वारा पकडा गया था । उसके पास से एक डायरी मिला जिस पर नंबर उसका भतीजा तथा अन्य के द्वारा लिखवाया है।

पत्रावली पर उपलब्ध पंचनामा प्रदर्श क-1 के गवाह शमशाद हुसैन व मुर्सरत अली ने अपने अपने बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट क्रमश प्रदर्श क-1 व प्रदर्श क-2 में दिनांक 17.04.2001 को उनके समक्ष सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा समय लगभग 7.30 बजे साायं चेतक होटल के पास अभियुक्तगण राकेश वर्मा, सुरेश कांस्यकार व सह अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा की व्यक्तिगत व देव प्रकाश वर्मा के द्वारा कंधे पर लटकाये गये बैग की तलाशी लेने तथा उक्त बैंग से 990 ग्राम शुद्ध हेरोइन व एक पाकेट डायरी जिस पर बहुत सारे नाम व टेलीफोन नंबर लिखे थे, बरामद होने तथा देव प्रकाश वर्मा व राकेश वर्मा द्वारा उक्त हेरोइन साहू अण्डे वाले की दुकान पर जमील अहमद से कमीशन के आधार पर मनोज दुबे को बेचने हेतु प्राप्त करने तथा जमील द्वारा हेरोइन विजय सिंह से प्राप्त करना तथा दो नमूना तैयार करने व रिकवरी मेमो मौके पर ही बनाये जाने का कथन किया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्त राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार द्वारा अपने- अपने बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दिनांक 17.04.2001 को चेतक होटल के सामने दो निष्पक्ष गवाहों के समक्ष कस्टम अधिकारियों द्वारा सह अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा के द्वारा कंधे पर लटकाये गये बैग से हेरोइन शुद्ध 990 ग्राम बरामद किया जाना तथा उक्त हेरोइन सह अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा द्वारा अभियुक्त जमील अहमद से क्रय किया जाना तथा सह अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा के पास अवैध हेरोइन होने की उन्हे जानकारी होना तथा दिनांक 17.04.2001 को सह अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा के साथ चेतक होटल के पास बरामदशुदा हेरोइन को मनोज दुबे उर्फ पंडित उर्फ नेता को विक्रय करने में सह अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा की सहायता हेतु चेतक होटल के पास उपस्थित होना स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार अभियुक्त जमील अहमद ने भी अपने बयान में दिनांक 17.04.2001 को सह अभियुक्त विजय सिंह से लगभग एक किलो हेरोइन क्रय किया जाना तथा उसे कमीशन पर बेचने हेतु सह अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा को दिया जाना स्वीकार किया गया है।

धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट के साक्ष्यिक महत्व को स्पष्ट करते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित विधि व्यवस्था तूफान सिंह बनाम तमिलनाडू राज्य, 2020(2) जे.आई.सी. 417, एस.सी. में यह अवधारित किया गया है कि एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन जॉच करने वाले अधिकारी पुलिस अधिकारियों की श्रेणी में आते है अतः उनको दिये संस्वीकारात्मक बयान पुलिस अधिकारियों को दिये गये बयान के समान है तथा धारा 25 साक्ष्य अधिनियम के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य नही है। अतः मात्र अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आधार मात्र पर ही अभियुक्तगण को दोष सिद्ध नही किया जा सकता है।

16- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण के घटना की तिथि 17.04.2001 को प्रवर्तनीय विधि के अनुसार बरामद मादक पदार्थ में मादक पदार्थ का प्रतिशत स्पष्ट किया जाना आवश्यक है परन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि बरामद पदार्थ में हेरोइन का प्रतिशत कितना है जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 19.10.2001 के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन नही किया गया है।

जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में नोटिफिकेशन दिनांक 19.10.2001 के प्रावधान लागू नही होते है क्योंकि बरामद हेरोइन शुद्ध रूप में है न कि मिश्रित रूप में।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क 34 से स्पष्ट है कि प्रकरण में सह अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा के बैग से बरामद हेरोइन से निकाले गये नमूनों को रासायनिक परीक्षण हेतु केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण प्रयोगशाला को प्रेषित प्रतिनिधिक नमूने में

परीक्षणोपरान्त हेरोइन होना पाया गया है। स्वीकृत रूप से नोटिफिकेशन दिनांक 19.10.2001 के अनुसार यदि बरामद मादक पदार्थ मिश्रित रूप में है तो दण्ड के निर्धारण हेतु बरामद मिश्रित पदार्थ में मादक पदार्थ की मात्रा स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। परन्तु जैसा कि रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-34 से स्पष्ट है कि बरामदशुदा हेरोइन के रासायनिक परीक्षण में कोई अमिश्रण नही पाया गया है बल्कि पूरी मात्रा ही हेरोइन पायी गयी है अतः न्यायालय की राय में नोटिफिकेशन दिनांक 19.10.2001 के प्रावधान प्रस्तत प्रकरण में आकर्षित नही होते है।

17- प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक 17.04.2001 को बरामद कथित हेरोइन को दिनांक 19.04.2001 को मालखाने में दाखिल किया गया है। परंतु अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नही किया गया है कि बरामद हेरोइन से निकाले गये नमूने बरामदगी की तिथि से 17.04.2001 से रिमाण्ड की तिथि 19.04.2001 तक किस सेफ कस्टडी में थी, माल खाना रजिस्टर्ड में भी सभी मुल्जिमों का नाम अंकित नही है, तथा अभियुक्त देव प्रकाश शर्मा, जिससे अवैध हेरोइन बरामद होना कहा जाता है, का नाम भी माल खाना रजिस्टर्ड में अंकित नही है।

जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध इन्वेंट्री प्रदर्श क-37 व मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श क-38 से स्पष्ट है कि प्रकरण में बरामद हेरोइन को माल खाना में दाखिल किया गया है । दिनांक 17.04.2001 से 19.04.2001 के मध्य बरामदशुदा हेरोइन की सुरक्षित अभिरक्षा साक्षी पी.डब्ल्यू.1 के बयान व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत माल मुकदमाती है, से पूर्णतया साबित है।

इस संबंध में साक्षी पी. डब्ल्यू. 01 संजय कुमार तिवारी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया गया है कि यह सही है कि घटना के दिन जो माल बरामद हुआ था, वह उस समय देखने पर भूरे रंग का पाउडर था, न्यायालय के समक्ष जो माल प्रस्तुत किया गया है, वह डार्क चॉकलेटी कलर सही अवस्था में है, इसकी वह कोई स्पष्ट वजह नही बता सकता । माल आज जिस अवस्था में पन्नी में पैक है, बरामदगी के दिन उसी में पन्नी के पैक अवस्था में मिला था, वस्तु प्रदर्श-3 में नीले रंग से बरामद शुदा माल का वजन 900 अंकित है और उसी वस्तु प्रदर्श पर स्केज से काले रंग में 980 ग्राम लिखा है। इसकी वजह यह है कि 5-5 ग्राम के दो नमूने रसायनिक परीक्षण हेतु निकाले गये थे, यह सही है कि सम्पूर्ण माल (पैकेट सहित) 995 ग्राम फर्द में अंकित है । यह सही है कि जो माल मौके पर सील किया गया था, उसका वजन फर्द बरामदगी में 985 ग्राम अंकित है । उक्त 985 ग्राम, 5 ग्राम पॉलीथीन का वजन है। यह सही है कि फर्द बरामदगी में इस बात का उल्लेख नही है कि मौके जो बरामद शुदा माल सील किया गया था, उसका कुल वजन पॉलीथीन पैकेट सहित 985 ग्राम है। फर्द बरामदगी के अनुसार माल को वस्तु प्रदर्श-1 में लपेट कर, वस्तु प्रदर्श-2 में सील करने की बात कही गयी है। किन्तु आज न्यायालय के समक्ष जो माल लाया गया है, वह सील हालत में कपड़े में लाया गया है, इसका कारण यह है कि फर्द में सील मोहर का अर्थ यह है कि बरामद सम्पूर्ण को मारकीन कपडे में रख कर सील मोहर किया गया। फर्द बरामदगी में बरामद माल को मारकीन में रखकर सील मोहर किये जाने का कोई लिखित उल्लेख नही है।

साक्षी पी. डब्ल्यू. 01 का अग्रेतर अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन है कि मुल्जिम देव प्रकाश से बरामद हेरोइन व अन्य सामान कार्यालय पहुचने के बाद मालखाने में जमा नही किया गया था, बल्कि वह सभी माल कार्यवाही करने वाली टीम की अभिरक्षा में रहा । कार्यालय में स्थित अलमारी में रखी गयी थी, बरामद शुदा माल को मालखाना में तुरंत न जमा करने का कारण यह था कि सामान्यता कार्यालय खुलने का समय 9.30-18.00 बजे तक होता है। कार्यवाही कर लौटने में देर रात हो गयी थी तथा बरामद शुदा माल को मजिस्ट्रेट समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक अनुमति प्राप्त कर विभागीय गोदाम में जमा किया जाता है। बरामद शुदा सामान

किस अधिकारी के कब्जे में रखा गया था, उसे आज याद नही है। माल खाना रजिस्टर से सत्यापित फोटोप्रति प्रदर्श क-38 में इस मुकदमें का माल क्रम संख्या एन.2/2001 दिनांकित 17.04.2001 को दाखिल करना अंकित है, जिसमें दाखिला माल का वजन 0980 ग्राम अंकित है, मुल्जिमान के कॉलम में राकेश वर्मा व विजय सिंह का नाम ही अंकित है और मुल्जिमानों का नाम अंकित नही है। दिनांक 17.04.2001 को घटनास्थल से कार्यालय वापस आने के बाद माल व मुल्जिम कार्यालय अधीक्षक के सामने माल, मुल्जिम पेश कर, माल को मालखाना खुलवाकर मालखाने में नही रखा गया, इसका कारण यह है कि अमुमन बरामद सामान को समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत कर अवलोकित कराकर उनके आदेशानुसार विभागीय गोदाम में जमा किया जाता है, उपरोक्त कार्यवाही चूँकि दिनांक 19.04.2001 सम्पन्न हुआ था।

एक अन्य अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 02 गौरीशंकर पाण्डेय ने इस संबंध में अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन है कि सारा बरामद माल दिनांक 18.04.2001 को सुबह 10.00 बजे कार्यालय खुलने के बाद दाखिल कराया था, तब तक सभी माल संजय तिवारी अपने पास अलमारी में रखे थे । मालखाने में माल संजय तिवारी ने ही दाखिल किया था । दाखिला का समय, क्रमांक या अन्य विवरण वह नही बता सकता ।

पत्रावली पर उपलब्ध बरामद मादक पदार्थ की इन्वेंट्री प्रदर्श क-37 व मालखाना रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्रदर्श क-38 तथा कार्यालय सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (नि) मण्डल वाराणसी के पत्र दिनांकित 09.05.2022 प्रदर्श क-39 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में बरामद हेरोइन सीमा शुल्क (नि) मण्डल वाराणसी के गोदाम में (एन-रजिस्टर के एंट्री संख्या एन-2/2001 दिनांक 19.04.2001) रखा गया तथा उसका वजन 980 ग्राम था।

पत्रावली पर उपलब्ध पंचनामा प्रदर्श क-1 में घटना की तिथि व समय पर अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा के दाहिने कंधे में लटके हुए स्कूली बैग से बरामद हेरोइन का वजन पॉलीथीन सहित 995 ग्राम पाया जाना, तथा पॉलीथीन को अलग कर वजन करने पर पॉलीथीन का वजन 5 ग्राम व हेरोइन का शुद्ध वजन 990 ग्राम पाया जाना तथा मौके पर ही अभिगृहित हेरोइन से 5-5 ग्राम के दो नमूने निकाल कर 2 अलग-अलग कागज के लिफाफों में रख कर सील किया जाना व शेष बचा हुआ 985 ग्राम हेरोइन को हीट सील करके उसी गमछे में लपेट कर उसी बैग में रख कर सील मोहर किया जाना अंकित है।

अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष घटना में बरामद हेरोइन को न्यायालय के समक्ष सफेद मटमैले कपड़े में सील मोहर अवस्था में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अभियुक्तगण, सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों व स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर है, जिसे न्यायालय के समक्ष खोले जाने पर उसमें से हरे रंग का पिट्ठू बैग, सफेद रंग के कपड़े में लिपटा हुआ पॉलीथीन का पैकेट, जिसमें भूरे रंग का जमा हुआ नशीला पदार्थ हेरोइन पाया गया, जिसे साक्षी पी. डब्ल्यू. 01 ने गमछे को वस्तु प्रदर्श-1, पिट्ठू बैग को वस्तु प्रदर्श-2 व सील मोहर कपड़ा को वस्तु प्रदर्श-3 के रूप में साबित किया है। स्वीकृत रूप से पंचनामा प्रदर्श क-1 में दो नमूना निकालने के बाद अवशेष माल जिसे सील किया गया, का वजन 985 ग्राम अंकित है। परंतु जैसा कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत माल पॉलीथीन के पैकेट में था, तथा पंचनामा प्रदर्श क-1 में उक्त पॉलीथीन का वजन 5 ग्राम तथा हेरोइन का शुद्ध वजन 990 ग्राम पाया जाना अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि घटना के समय बरामद हेरोइन व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हेरोइन में कोई संदिग्धता नही है।

जहाँ तक दिनांक 17.04.2001 को समय 17.03 बजे बरामद हेरोइन को दिनांक 19.04.2001 तक विभागीय मालखाने में जमा न किये जाने का प्रश्न है।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध पंचनामा प्रदर्श क-1 न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2001 को अवलोकित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण की रिमाण्ड कार्यवाही दिनांक 19.04.2001 को की गयी है, जिसकी पुष्टि साक्षी पी. डब्ल्यू. 01 के इस कथन से भी होती है कि बरामद सामान को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अवलोकित करने की कार्यवाही दिनांक 19.04.2001 को सम्पन्न हुई, जिसके उपरांत बरामद हेरोइन 19.04.2001 को विभागीय मालखाने में रखा गया। स्वीकृत रूप से मालखाना रजिस्टर में सभी अभियुक्तगण के नाम का उल्लेख नही है। अपितु केवल अभियुक्त राकेश वर्मा व विजय सिंह के नाम का उल्लेख है, जिसके संबंध में साक्षी पी. डब्ल्यू. 01 का अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन है कि मालखाने के रजिस्टर की फोटोप्रति प्रदर्श क-38 में मुल्जिमान राकेश व विजय के अलावा अन्य मुल्जिमानों का नाम दर्ज न होने का कारण यह है कि गिरफ्तार मुल्जिमान में से किसी 1 या 2 अभियुक्त का नाम अंकित कर दिया जाता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बरामद हेरोइन को दिनांक 19.01.2001 के पूर्व विभागीय मालखाने में जमा न किये जाने तथा मालखाना रजिस्टर में सभी अभियुक्तगण का नाम उल्लिखित न किये जाने के कारण को अभियोजन पक्ष द्वारा सम्यक रूप से स्पष्ट किया गया है तथा पंचनामा प्रदर्श क-1, साक्षीगण के बयान व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत माल मुकदमाती हेरोइन, पिट्ठू बैग व गमछे से प्रकरण में बरामद शुदा मादक पदार्थ हेरोइन की सुरक्षित अभिरक्षा (Safe Custody) संदेह से परे साबित है।

18- एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 35 आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा के संबंध में प्रावधान करते है, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के अभियोजन में जिसमें अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा अपेक्षित है, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त की ऐसी मानसिक दशा है, किन्तु अभियुक्त के लिये यह तथ्य साबित करना एक प्रतिरक्षा होगी कि अभियोजन के अपराध के रूप में आरोपित कार्य के बारे में उसकी वैसी मानसिक दशा नही थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न सुस्थापित विधि व्यवस्थाओं में यह अवधारित किया गया है कि आपराधिक मानसिक दशा व अन्य उपधारणाओं के लिये कब्जा साबित करने का प्रारंभिक भाग अभियोजन पक्ष पर है ।

एक अन्य सुस्थापित विधि व्यवस्था **Dehal Singh Vs State of Himanchal Pradesh (2010) 9 SCC 85** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जब एक बार कब्जा साबित कर दिया जाता है, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकती है कि अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा है तथा धारा 54 के अधीन सचेतन कब्जा की उपधारणा उत्पन्न हो जाती है ।

19- प्रस्तुत प्रकरण में सह अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा के कब्जे से 990 ग्राम हेरोइन बरामद होना कहा गया है तथा बरामदगी के समय अभियुक्तगण राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार को सह अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा का सहयोग करने व तीनो अभियुक्तगण को घटनास्थल से गिरफ्तार किये जाने व उक्त हेरोइन सह अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा द्वारा अभियुक्त जमील अहमद से कमीशन पर विक्रय हेतु प्राप्त किया जाना अभिकथित किया गया है ।

अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी.डब्ल्यू-1 संजय कुमार तिवारी व पी.डब्ल्यू.2 गौरी शंकर पाण्डेय ने अपने-अपने मौखिक साक्ष्य में अभियोजन के उपरोक्त कथानक का पूर्ण समर्थन किया गया है कि अभियुक्तगण देव प्रकाश वर्मा, राकेश वर्मा व सुरेश कांस्यकार को 990 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा ने उक्त हेरोइन अभियुक्त जमील अहमद से साहू अण्डे वाले की दुकान पर कमीशन पर विक्रय

हेतु प्राप्त करने तथा अभियुक्त जमील अहमद ने बरामदशुदा हेरोइन सह अभियुक्त विजय सिंह से वेकंटेश होटल से प्राप्त करना स्वीकार किया गया ।

पत्रावली पर डायरी वस्तु प्रदर्श-1 जिसे सह अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा के कंधे वाले बैग जिसमें हेरोइन थी, से बरामद होना कहा गया है, में सह अभियुक्त विजय सिंह का फोन नंबर 07431-66204 अंकित है जिसे अभियुक्त जमील अहमद ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श क-28 में भी सह अभियुक्त विजय सिंह का होना स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध एक अन्य डायरी वस्तु प्रदर्श -2 जिसे पंचनामा प्रदर्श के अभियुक्त जमील अहमद के कब्जे से बरामद किया जाना कहा गया है, में भी फोन नं. 07431-66289 व 66204 का अंकित है, जिन्हें जमील अहमद ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श क-28 में सह अभियुक्त विजय सिंह का होना स्वीकार किया गया है। यद्यपि कि साक्षी पी. डब्ल्यू. 01 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि जमील व राकेश वर्मा के पास से दो पॉकेट डायरी बरामद होना बताया गया है, उनकी हस्तलिपि की पहचान करने वाले विशेषज्ञ से जांच नही करायी गयी। परन्तु जैसा कि पत्रावली पर उपलब्ध पंचनामा प्रदर्श क-1 से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण राकेश वर्मा व देव प्रकाश वर्मा द्वारा दिनांक 17.04.2001 को पूछताॅछ में स्वीकार किया गया कि बरामद हेरोइन अभियुक्त जमील राजस्थान निवासी विजय सिंह से प्राप्त करता है जो इस समय होटल वेंकटेश के कमरा नंबर 205,206 में ठहरा है तथा सह अभियुक्त विजय सिंह को दिनांक 18.04.2001 को होटल वेंकटेश के कमरा नंबर 205 से मय एक अदद देशी कट्टा व एक अदद कारतूस गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध पंचनामा प्रदर्श क- 19 से होती है। जिससे यह सत्य संदेह से परे साबित है कि अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा अभियुक्त जमील अहमद से हेरोइन कमीशन पर विक्रय करने हेतु प्राप्त करने तथा उक्त हेरोइन को घटना की तिथि 17.04.2001 को समय लगभग 17.30 बजे चेतक होटल के पास सह-अभियुक्त देवप्रकाश वर्मा द्वारा मनोज दूबे उर्फ नेता उर्फ पण्डित को दिया जाना अभियुक्तगण राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना के सचेतन ज्ञान में था तथा उक्त तथ्य को जानते हुए भी अभियुक्तगण राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना बरामदशुदा हेरोइन की डिलेवरी को सुगम बनाने हेतु सह-अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा का सहयोग कर रहे थे, जो उनकी आपराधिक मानसिक दशा भी साबित करता है, जिसके खण्डन हेतु अभियुक्तगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय की राय में अभियुक्तगण राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू, सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना व जमील अहमद के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 8/21/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट संदेह से परे साबित होता है।

20- प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू, सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना व जमील अहमद पर धारा 27ए एन.डी.पी.एस. एक्ट का भी आरोप लगाया गया है। जैसा कि उपरोक्त विवेचना से साबित हो चुका है कि अभियुक्त जमील अहमद द्वारा सह अभियुक्त विजय सिंह से हेरोइन खरीद कर सह अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा को कमीशन पर विक्रय हेतु दी गयी तथा अभियुक्तगण राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना को सह अभियुक्त देव प्रकाश वर्मा के साथ अवैध हेरोइन के साथ गिरफ्तर किया गया अतः अभियुक्त जमील अहमद द्वारा अवैध हेरोइन के व्यापार को वित्त पोषित किया जाना भी संदेह से परे साबित है।

जहाॅ तक अभियुक्तगण राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू, सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना के विरूद्ध धारा 27ए, एन.डी.पी.एस. एक्ट के आरोप का प्रश्न है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्तगण राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना द्वारा अवैध हेरोइन के व्यापार को वित्त पोषित किया

गया या उसमें लिप्त व्यक्तियों को संश्रय दिया गया हो। अतः न्यायालय की राय में अभियुक्त राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना के विरूद्ध धारा 27ए, एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप साबित नही होता है।

21- इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों से अभियुक्तगण जमील अहमद के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 8/21/27ए व 29 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम तथा अभियुक्तगण राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 8/21 व 29 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है तथा अभियुक्तगण राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना के विरूद्ध आरोप अतंर्गत धारा 27ए, मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम का अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है । तदनुसार अवधार्य बिन्दु संख्या 01 लगायत 06 निस्तारित किया जाता है ।

22- अभियुक्तगण जमील अहमद को आरोप अंतर्गत धारा 8/21/27ए व 29 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम व अभियुक्तगण राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 8/21 व 29 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम अधिनियम दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना को आरोप अंतर्गत धारा 27ए, मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम में दोषमुक्त किया जाता है।

दोषसिद्धगण जमानत पर है, उनके बन्धपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभुओ को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। दोषसिद्धगण जमील अहमद, राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय। पत्रावली दिनांक 20.06.2026 को दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हो। दोषसिद्धगण दिनांक 20.06.2026 को जिला कारागार से तलब हो ।

(मनोज कुमार द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट/(14वॉ वित्त आयोग),
वाराणसी।

दिनांकः-19.06.2026 J.O.Code UP-1827
Steno-Shahbaz

UPVR010000082001

IN THE COURT OF ASJ/F.T.C. (14th Finance Com.) At, Varanasi
(Presided Over by Manoj Kumar -II)
N.d.p.s. -Old/1700395/2001
भारत संघ **बनाम** जमील अहमद आदि

20.06.2026

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्धगण जमील अहमद, राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना जिला कारागार से उपस्थित है ।

दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक, सीमा शुल्क, भारत संघ तथा दोषसिद्धगण जमील अहमद, राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, सीमा शुल्क, भारत संघ द्वारा तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि दोषसिद्धगण को आपराधिक षड़यंत्र कर अवैध हेरोइन जिसकी शुद्ध मात्रा 990 ग्राम है, को व्यापार हेतु क्रय-विक्रय करने व उसका दुष्प्रेरण करने के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में बरामद हेरोइन की मात्रा वाणिज्यक मात्रा से काफी अधिक है। दोषसिद्ध जमील अहमद के विरूद्ध पूर्व से मु.अ.सं. 585/98, अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर, मु.अ.सं. 586/1998, धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर, मु.अ.सं. 186/1999, धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर तथा दोषसिद्ध राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू के विरूद्ध पूर्व से मु.अ.सं. 03/97, अन्तर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर, मु.अ.सं. 763/1998, धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर, से दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि दोषसिद्धगण जमील अहमद व राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू आदतन अपराधी है। अतः दोषसिद्धगण को अधिकतम कारावास व जुर्माने के दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

दोषसिद्धगण जमील अहमद, राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्ध मजदूर पेशा व्यक्ति है व अपने-अपने परिवार के भरण पोषण हेतु एक मात्र जिम्मेदार व्यक्ति है। प्रस्तुत प्रकरण की घटना वर्ष 2001 की है। नोटिफिकेशन दिनांक 18.11.2009 से पूर्व अर्थात घटना की तिथि पर बरामद मादक पदार्थ में मादक पदार्थ का प्रतिशत का उल्लेख किया जाना आज्ञापक था । बरामद मादक पदार्थ में मादक पदार्थ के प्रतिशत के आधार पर ही मात्रा का निर्धारण किया जाना प्रावधानित था । पत्रावली पर उपलब्ध रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट में बरामद मादक पदार्थ 990 ग्राम में हेरोइन की मात्रा का प्रतिशत स्पष्ट नही किया गया है। अतः बरामद हेरोइन को अल्प मात्रा मानते हुये दोषसिद्धगण राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना व जमील अहमद को न्यूनतम दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

इस संबंध में दोषसिद्धगण की ओर से प्रस्तुत **सुरेश सिंह कुशवाहा बनाम उ.प्र. राज्य, 2011(2) ई.एफ.आर. 653 व हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2011(2) ई.एफ.आर. 5** में यह अवधारित किया गया है कि नोटिफिकेशन दिनांक 18.11.2009 का प्रभाव भूतलक्षी नही है तथा उक्त नोटिफकेशन दिनांक 18.11.2009 से पूर्व में मामलों में अभियुक्त से बरामद कुल मिश्रण में से मादक पदार्थ के वास्तविक प्रतिशत को विचार में लिया जायेगा ।

पत्रावली पर उपलब्ध रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-34 से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में बरामदशुदा हेरोइन के सैम्पल के रासायनिक परीक्षण में हेरोइन (Diacetylmorphine)

अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी. (14th वि.आ.), वाराणसी

पाया गया है तथा बरामदशुदा मादक पदार्थ में कोई मिश्रण नही पाया गया है। अतः दोषसिद्धगण यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नही है कि बरामदशुदा हेरोइन अल्प मात्रा की श्रेणी में आती है।

एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामलों में दोषसिद्ध को दण्डित किये जाने के लिये अपराध करने के उद्देश्य, स्वापक औषधि या मादक पदार्थ की तीव्रता, उद्देश्य, उपयोग आदि कारकों पर विचार किया जाना होता है । एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामलों में दोषसिद्ध को दण्ड की मात्रा अधिरोपित किये जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्थापित विधि व्यवस्था **बुध सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 3 एस.सी.सी.,742** में यह अभिमत प्रकट किया गया है कि धारा 20(ii)(सी) जहॉ पर न्यूनतम दण्ड प्रावधानित है वहॉ न्यायालय दण्ड विहित दण्ड से कम नही कर सकता है।

एक अन्य सुस्थापित विधि व्यवस्था **रफीक कुरेशी बनाम नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो, (2019) 6, एस.सी.सी., 492** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि अभियुक्त को न्यूनतम दण्ड से अधिक दण्ड अधीरोपित किये जाते समय अभियुक्त पर आरोपित पदार्थ की मात्रा आवश्यक संघटक है। यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि जहॉ अधिनियम में न्यूनतम दण्ड का प्रावधान है वहॉ न्यनूतम से अधिक दण्ड दिये जाने पर न्यायालय के विवेकाधिकार पर कोई रोक नही है। दण्ड अधिरोपित किये जाते समय अपराध की गम्भीरता, अभियुक्त की भूमिका पर भी विचार किया जाना चाहिए। जहॉ अभियुक्त केवल वाहक (Carrier) है वहॉ दण्ड कम किया जा सकता है।

एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 32ख, स्वयं में उन कारकों का प्रावधान करती है, जो न्यायालय को न्यूनतम दण्ड से उच्चतर दण्ड से अधिरोपित करते समय विचार में लाना चाहिये, जो इस प्रकार है-

(क) अपराधी द्वारा हिंसा या आयुध का उपयोग या उसके उपयोग की धमकी;

(ख) यह तथ्य कि अपराधी लोक पद धारण करता है और उनसे अपराध करने में उस पद का लाभ उठाया है;

(ग) यह तथ्य कि अपराध द्वारा अवयस्क प्रभावित होते या उस अपराध के किए जाने के लिए अवयस्कों का उपयोग किया जाता है;

(घ) यह तथ्य कि अपराध किसी शिक्षा संस्था या सामाजिक सेवा संकाय में या ऐसी संस्था या संकाय के ठीक निकट या ऐसे अन्य स्थान में, जिसमें विद्यालय के बालक और छात्र शिक्षा, क्रीड़ा और सामाजिक क्रियाकलापों के लिए आते-जाते हैं, किया जाता है;

(ङ) यह तथ्य कि अपराधी संगठित अंतरराष्ट्रीय या किसी ऐसे अन्य अपराधी समूह से सम्बन्ध रखता है, जो अपराध करने में लगा हुआ है; और

(च) यह तथ्य कि अपराधी अपराध करके सुकर बनाए गए और अन्य अवैध क्रियाकलापों में लगा हुआ है।

प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्धगण को आपराधिक षड़यंत्र कर अवैध हेरोइन जिसकी शुद्ध मात्रा 990 ग्राम है, को व्यापार हेतु क्रय-विक्रय करने व उसका दुष्प्रेरण करने के अपराध साबित हुआ है।

स्वीकृत रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा दोषसिद्धगण जमील अहमद, राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना के किसी आपराधिक मामले में पूर्व में दोषसिद्ध होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है। दोषसिद्धगण के सामाजिक व आर्थिक स्तर तथा दोषसिद्धगण द्वारा कारित अपराध की गंभीरता एवं बरामद मादक पदार्थ हेरोइन जो व्यवसायिक मात्रा से अधिक है, को दृष्टिगत रखते हुए **दोषसिद्धगण जमील अहमद, राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना** को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित हैं।

आदेश

1. दोषसिद्ध जमील अहमद को अपराध अन्तर्गत धारा- 27ए स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1885 के आरोप हेतु 10 वर्ष (दस वर्ष) का कठोर कारावास तथा मु. 1,00,000/- रूपये (एक लाख) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर दोषसिद्ध 01 (एक वर्ष) का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

दोषसिद्ध जमील अहमद को अपराध अन्तर्गत धारा- 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1885 हेतु 10 वर्ष (दस वर्ष) का कठोर कारावास तथा मु. 1,00,000/- रूपये (एक लाख) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर दोषसिद्ध 01 (एक वर्ष) का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

दोषसिद्ध जमील अहमद को अपराध अन्तर्गत धारा- 29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1885 हेतु 10 वर्ष (दस वर्ष) का कठोर कारावास तथा मु. 1,00,000/- रूपये (एक लाख) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर दोषसिद्ध 01 (एक वर्ष) का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

दोषसिद्ध जमील अहमद की सभी सजाये साथ-साथ चलेंगी ।

2. दोषसिद्ध राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू को अपराध अन्तर्गत धारा- 27ए स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1885 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है ।

दोषसिद्ध राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू को अपराध अन्तर्गत धारा- 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1885 हेतु 10 वर्ष (दस वर्ष) का कठोर कारावास तथा मु. 1,00,000/- रूपये (एक लाख) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर दोषसिद्ध 01 (एक वर्ष) का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

दोषसिद्ध राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू को अपराध अन्तर्गत धारा- 29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1885 हेतु 10 वर्ष (दस वर्ष) का कठोर कारावास तथा मु. 1,00,000/- रूपये (एक लाख) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर दोषसिद्ध 01 (एक वर्ष) का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

दोषसिद्ध राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू की सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी ।

3. दोषसिद्ध सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना को अपराध अन्तर्गत धारा- 27ए स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1885 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है ।

दोषसिद्ध सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना को अपराध अन्तर्गत धारा- 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1885 हेतु 10 वर्ष (दस वर्ष) का कठोर कारावास तथा मु. 1,00,000/- रूपये (एक लाख) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर दोषसिद्ध 01 (एक वर्ष) का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

दोषसिद्ध सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना को अपराध अन्तर्गत धारा- 29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1885 हेतु 10 वर्ष (दस वर्ष) का कठोर कारावास तथा मु. 1,00,000/- रूपये (एक लाख) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर दोषसिद्ध 01 (एक वर्ष) का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

दोषसिद्ध सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना की सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी ।

4. दोषसिद्धगण जमील अहमद, राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना द्वारा इस प्रकरण में जेल में बिताई गयी अवधि उनको अधिरोपित सजा में समायोजित की जायेगी ।

5. **दोषसिद्धगण जमील अहमद, राकेश वर्मा उर्फ पिन्टू व सुरेश कांस्यकार उर्फ मुन्ना** का सजायावी वारण्ट बनाकर उन्हे सजा भुगतने हेतु अविलम्ब जिला कारागार वाराणसी भेजा जाय।

6. निर्णय की एक-एक प्रति दोषसिद्धगण को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाय ।

7. चूंकि प्रकरण से संबंधित अन्य अभियुक्तगण की पत्रावली विचारण हेतु शेष है, अतः प्रकरण में बरामद मादक पदार्थ अन्य अभियुक्त के संबंध में पारित निर्णय के पश्चात ही निस्तारित किया जाय।

दिनांकः- 20.06.2026

(मनोज कुमार द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट/(14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(मनोज कुमार-द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट/(14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।
दिनांकः-20.06.2026
J.O.Code UP-1827